वर्ष 10, अंक 35, अप्रैल-जून, 2010

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक

आवास भारती पत्रिका के मुख पृष्ठ पर दिया गया छायाचित्र हमारे बैंक से वित्त सहायता प्राप्त आवास इकाई है जो कि तमिलनाडु के मदुरै ज़िले में महासेमम ट्रस्ट नाम एक सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेंस) संस्थान के ज़रिए राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से दी गई आवास सूक्ष्म वित्त सहायता से लाभ प्राप्त करने वाले एक गृहस्वामी का मकान है । राष्ट्रीय आवास बैंक ने मदूरै, थेनी, डिंडीगुल, शिवगंगई और तिरुनेलवेली के ज़िलों में नए वैयक्तिक घरों के निर्माण के लिए महासेमम ट्रस्ट को आवास सूक्ष्म वित्त (हाउसिंग माइक्रो फाइनांस) सहायता प्रदान की है । प्रत्येक घर का क्षेत्रफल 220 वर्गफीट के लगभग है। प्रत्येक घर के निर्माण की लागत 60,000/- रुपए होने का अनुमान है जिसमें प्रत्येक लाभार्थी को दिए जाने वाले ऋण की राशि 50,000/- रुपए है। शेष राशि लाभार्थी को अपने पास से खर्च करनी होती है । लोगों ने अपने श्रम और कौशल से सस्ते एवं सुंदर घरों का निर्माण किया है। गरीबों को अपने घर का स्वामी बनाने की दिशा में राष्ट्रीय आवास बैंक की यह पहल सर्वत्र सराही गई है । गृहस्वामियों को अपने घर का मालिक होने पर गर्व है। यह आवास उत्पादकतापूर्ण है जहाँ गरीब अपने घरों से कुटीर-उद्योग का काम करते हुए आय अर्जित करते हैं।

संपादकीय

''मन के हारे है मन के जीते जीत'' यह कहावत मानव जीवन के सत्य को सही प्रकार से उजागर करती है। यह कहा जाए कि मन ही हमारे जीवन का नियामक है तो असत्य नहीं होगा। अगर आपके मन में उत्साह हो तो आप अपने उद्देश्यों को पाने के लिए एकाग्रचित होते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने प्रगति पथ की प्रशस्ति के लिए कदम बढ़ाते हैं। अगर मन बैठ जाए तो हम भी आलस्य का शिकार हो जाते हैं और अपनी कर्मभूमि से विराम सा ले लेते हैं। यह दशा ठीक नहीं है; क्योंकि मैत्रायकी आरण्यक में कहा गया है कि मन ही संसार है, जैसा मन होता है, वैसा ही मनुष्य बन जाता है, यह सनातन रहस्य है।

तुलसीदास जी ने सही कहा है कि जब तक व्यक्ति मे मन में विकार है तब तक बुद्धिमान और मूर्ख की परिभाषा एक ही है अर्थात मन में विकार वाले व्यक्ति को बुद्धिमान कहना मूर्खता ही होगी। मानसिक दासता मानसिक मृत्यु है जिस मनुष्य ने मानसिक स्वतंत्रता का परित्याग कर दिया; वह गुलाम रूपी हो जाता है और एक मृत आत्मा का रूप धारण कर लेता है।

जरूरत है कि आप अपने मन को बड़ा बनाइये, बड़ा सोचिए और बड़ा लक्ष्य प्राप्त कीजिए। अगर आप बड़ा सोचेगें तो बड़ा बनेंगे और हमेशा सूक्ष्म सोचेंगे तो सूक्ष्म घेरे के चारों और दौड़ते ही रहेंगे। किसी ने ठीक ही कहा है कि अपनी सामर्थ्य अनुसार जल भरिए। कोई लोटा भरता है तो कोई बाल्टी भर लेता है। मन बलवान हो तो कार्य न केवल संपन्न होता हैं; बल्कि जीवन को एक दिशा भी मिलती है।

अगर आपको गतिशील बनना है तो मन को गतिशील रखें अन्यथा आप एक ठंडे रक्त वाले व्यक्ति बन जाएंगे। यदि आपने मन में ऊष्मा और विजय का उत्साह नहीं रहेगा तो न जिंदगी के मायने रह जाएंगे न जिंदगी में उत्साह।

अब यह आपके ऊपर है कि आप अपने मन को निष्क्रिय रखते हैं या उसको सक्रिय रख आगे बढ़ते हैं; क्योंकि मन तो एक घड़ी की तरह है, जिसको ठीक तरीके से चलाने के लिए नियमित चाभी लगाना बहुत जरूरी है।

तो मेरा सुझाव यह कि मन को जवान रखें, जिंदगानी को गतिमान रखें। जिंदगी आपका साथ देगी और आपका जीवन सफल होगा।

रंजन कुमार बरून
प्रबंधक व संपादक

11.05.2010

महोदय,

आपके बैंक द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका आवास भारती का जनवरी–मार्च, 2010 की एक प्रति सधन्यवाद प्राप्त हुई। पत्रिका में श्री रंजन कुमार बरून, श्री ओ.पी. पुरी, श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव और व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया आपका लेख सराहनीय, रूचिकर और ज्ञानवर्धक हैं।

पत्रिका के माध्यम से बैंक की गतिविधियों की जानकारी मिली जिनमें रा.आ. बैंक को पुनः दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तरफ से रा. भा. कार्यान्वयन में श्रेष्ठ कार्य–निष्पादन के लिए अंतः बैंक राजभाषा शील्ड तथा अंतः बैंक गृह पत्रिका आवास भारती को प्रथम पुरस्कार मिला है। बैंक की उपलब्धियों पर बधाई व शुभकामनाएं।

पत्रिका का कलेवर, साजसज्जा एवं प्रस्तुतिकरण अत्यन्त श्लाघनीय है और अन्य उपक्रमों के लिए प्रेरणादायक है। आशा है कि पत्रिका के ज़रिये इसी प्रकार राजभाषा प्रचार–प्रसार के प्रयास करते रहेंगे।

भवदीय
नगेन्द्र कुमार मिश्र
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

11.06.2010

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित आवास भारती का जनवरी–मार्च 2010 का अंक हुआ, पत्रिका का संपूर्ण कलेवर आकर्षक एवं सौंदर्यपूर्ण है और इसके अंतर्गत दी गई सामग्री उत्कृष्ट एवं ज्ञानवर्धन है।

इस उत्कृष्ट पत्रिका के संपादन हेतु हार्दिक बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोतर प्रगति हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय
नवेन्दु वाजपेयी
मुख्य प्रबंधक
भारतीय निर्यात–आयात बैंक मुंबई

20.05.2010

महोदय,

राष्ट्रीय आवास बैंक की त्रैमासिक राजभाषा पत्रिका राष्ट्रीय आवास बैंक आवास भारती जनवरी–मार्च, 2010 का अंक हमें प्राप्त हुआ, धन्यवाद।

पत्रिका में प्रकाशित होली में प्राकृतिक रंगों द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त हुई और लेख/रचनाएं पठनीय एवं रोचक हैं।

आशा करते है कि पत्रिका हमें नियमित रूप से प्राप्त होती रहेगी।

भवदीय
आर.बी. कुशवाहा
उप महाप्रबंधक (का. एवं मासंवि)
पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड
नई दिल्ली

15.05.2010

महोदय,

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका 'आवास भारती' पढ़कर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई। भूमंडलीकरण के इस युग में ये पत्रिका एक मार्गदर्शक की भूमिका अदा कर रही है जो ज्ञानवर्द्धन के साथ–साथ युवावर्ग में चेतना का संचार भी करती है। ज्वलंत मुद्दों पर लेख दिशा दिखाने के साथ एक सोच का निर्माण भी करते हैं। इसके अतिरिक्त कहानियाँ, नए शब्दों की जानकारी, भाषा का मानकीकरण जैसे विषयों को भी शामिल किया जा सकता है। आशा है कि भविष्य में भी 'आवास भारती' का प्रकाशन होता रहेगा तथा पत्रिका की सफलता हेतु आपको शुभकामनाएँ।

भवदीय
अजीत कुमार सिन्हा
उप महाप्रबंधक (इंफ्रा)
एवं राजभाषा प्रभारी
मेकॉन लिमिटेड, दिल्ली

18.05.2010

महोदय,

पत्रिका की रूप सज्जा आकर्षक है। पत्रिका में समाहित लेख भारत में भाषा प्रौद्योगिकी–भूत वर्तमान और भविष्य से अवश्य ही सुधी पाठकों को भाषायी क्रियामाण व अथाह ज्ञान की प्रेरणा मिलेगी। मोटापा–एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या लेख में अच्छी जानकारी दी गयी है, जो पाठकों को प्रेरणा दी गई वह बहुत ही लाभप्रद है। हिंदी अधिकारी द्वारा लिखा गया लेख–जय बाबा दिल्ली वाले की प्रस्तुति सराहनीय है। अन्य सभी लेख व सामग्री भी ज्ञानवर्धक हैं। आशा करते हैं कि आपकी पत्रिका हमें निरंतर मिलती रहेगी। संपादन मंडल को पत्रिका के सफल संपादन–हेतु हार्दिक बधाई।

भवदीय
कैलाश चन्द
राजभाषा अधिकारी
ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
आसफ अली रोड, नई दिल्ली

आभार

आवास भारती के जनवरी–मार्च, 2010 अंक के बारे में पाठकों द्वारा भेजी गई सच्ची एवं स्पष्ट प्रतिक्रिया के लिए "आवास भारती" का संपादक मण्डल आभार व्यक्त करता है और पाठकों द्वारा भेजे गए सुझावों एवं विचारों का सदैव स्वागत है।

संपादक

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका

(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या : दिल्ली इन/2001/6138

वर्ष 10, अंक 35, अप्रैल-जून, 2010

प्रधान संरक्षक

एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक

राज विकास वर्मा, कार्यपालक निदेशक

सह संरक्षक

एन. उदय कुमार, उप महाप्रबंधक

संपादक

रंजन कुमार बरूआ, प्रबंधक

सहायक संपादक

अमर सिंह सचान, (राजभाषा अधिकारी)

संपादक मंडल

सौरभ शील, क्षेत्रीय प्रबंधक

किशोर कुंभारे, प्रबंधक

पीयूष पांडेय, उप प्रबंधक

आर.के.अरविंद, उप प्रबंधक

लता रस्तोगी, सहायक प्रबंधक

सुकृति वाधवा, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए ज़िम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

कोर 5–ए, 3–5 तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	संपादकीय	01
(2)	आपकी पाती	02
(3)	राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार	04
(4)	शहरी गरीबों के लिए आवास	06
(5)	औपनिवेशिक भारत में नगर नियोजन और भवन निर्माण (भाग–2)	08
(6)	भारत के प्राचीन शहर	11
(7)	भारतीय परिवार व्यवस्था की दार्शनिकता	14
(8)	बिगड़ते पर्यावरण के दुष्परिणाम	16
(9)	भारत में भाषा प्रौद्योगिकी–भूत, वर्तमान और भविष्य (भाग–2)	19
(10)	करें योग रहें निरोग	21
(11)	यत्र–तत्र–सर्वत्र	23
(12)	काव्य सुधा	24

आवास सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेंस) पर प्रशिक्षण

07 मई, 2010 को बैंगलूरु में बैंक के प्रशिक्षण विभाग ने 'आवास सूक्ष्म वित्त' (हाउसिंग माइक्रो फाइनेंस) पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में कर्नाटक राज्य के सूक्ष्म वित्त से जुड़े 14 आवास वित्त संस्थानों के 22 अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय आवास बैंक के महाप्रबंधक, श्री वी.के. बदामी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के प्रमुख संकाय सदस्यों में श्री क्षेत्र धर्मस्थल रूरल डवलपमेंट प्रौजैक्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री एल.एच. मंजूनाथ; एस.के.एस. माइक्रोफाइनेंस लि. के सहायक उपाध्यक्ष श्री जी.एस.वी.राजू; नानायसुरभि डवलपमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज़ के प्रबंध निदेशक, श्री एन. पीटर पालनिस्वामी; स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज की प्राचार्या, सुश्री मनोरमा भटट आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इसके साथ ही, राष्ट्रीय आवास बैंक के उपप्रबंधक एवं जन–संपर्क अधिकारी, श्री डब्ल्यू. सी रॉबिन तथा बैंक के अन्य संकाय सदस्य भी उपस्थित थे। आवास बैंक के प्रबंधक, श्री एम.बी. रॉय, हैल्पेज इंडिया की परामर्शदात्री, सुश्री एस चटर्जी, सिलीगुड़ी के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक तथा मुख्य प्रबंधक, तथा यूको बैंक, कोलकाता के मुख्य प्रबंधक उपस्थित थे।

राष्ट्रीय आवास बैंक
आवास सूक्ष्म वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
07 मई, 2010, बैंगलूरू

राष्ट्रीय आवास बैंक
ग्रामीण आवास वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
10 जून, 2010, कडापा

ग्रामीण आवास वित्त पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

दिनांक 28 मई, 2010 को बैंक के द्वारा झारखंड ग्रामीण बैंक के कार्मिकों के लिए झारखंड, रांची में 'ग्रामीण आवास वित्त' के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 10 जून, 2010 को कडप्पा, आंध्रप्रदेश में, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक के कार्मिकों के लिए आयोजित किया गया।

इन दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान 'ग्रामीण आवास के विशेष परिप्रेक्ष्य में आवास परिदृश्य' तथा ग्रामीण आवास वित्त के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक की भूमिका, राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रयास एवं योजनाएं, ग्रामीण आवास में चुनौतियां एवं सुअवसर तथा आगे बढ़ाना', ग्रामीण आवास में सूक्ष्म वित्त की भूमिका एवं व्यावहारिक अनुभव', 'ग्रामीण आवास हेतु वैकल्पिक उपागम' आदि विषयों पर चर्चा हुई। ये सारे कार्यक्रम राष्ट्रीय आवास बैंक की छत्रछाया में आवास वित्त क्षेत्र की क्षमता निर्माण के लिए किए गए, जहां पर बैंक ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए सारे व्यय वहन किए।

'आवास वित्त में विधिक मुद्दों' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त कंपनियों के अधिकारियों के लिए 24 व 25 जून, 2010 को शिमला में 'आवास वित्त में विधिक मुद्दों' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों के 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान – ''आवास वित्त में राष्ट्रीय आवास बैंक की भूमिका, स्वत्वाधिकार की जांच एवं आवास वित्त में अभिलेखन, आवास ऋणों की वसूली, धोखाधड़ी निरोधक उपाय एवं अपने ग्राहकों के बारे में जानना संबंधी दिशा–निर्देश, आवास ऋण में धोखाधड़ी एवं केस स्टडीज़, कानूनी जोखिमों का प्रबंधन' आदि विष्यों पर परिचर्चा की गई। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय आवास बैंक के महाप्रबंधक, श्री आर. एस. गर्ग; हडको के कार्यपालक निदेशक, श्री एस.एस. गौर तथा हडको के ही उप–प्रमुख (कानून) श्री गुरु अधीन; आईआईएफसीएल के सहायक उपाध्यक्ष, श्री एस.डी.नंदा; भारतीय रिज़र्व बैंक के विधिक अधिकारी श्री अभिलाष अंकाथिल तथा बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख जनपद प्रबंधक, श्री सुधाकर अत्रे ने प्रशिक्षण के अलग–अलग सत्रों को संबोधित किया।

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद तथा राष्ट्रीय आवास बैंक के बीच शहरी ग़रीबों के लिए आवास हेतु ब्याज अनुदान सहायता (ISHUP) पर समझौता ज्ञापन

रा.आ.बैंक के प्रतिनिधि श्री विनीत सिंह, क्षे.प्र. एवं स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के प्रतिनिधि श्री ए.मो. रहीम्मुल्लाह शरीफ, उ.म.प्र. के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा ''सबके लिए वहनीय आवास'' के लिए निंरतर जारी प्रयास के अंतर्गत कमज़ोर आर्थिक वर्ग एवं निम्न आय समूह के लिए अपना घर बनाने हेतु शहरी ग़रीबों के लिए ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में एक बार पुनः 09 मार्च, 2010 को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आंध्र प्रदेश में ही 04 दिसम्बर, 2009 को आंध्रा बैंक के साथ ऐसे ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

31 मार्च, 2010 तक आंध्र प्रदेश राज्य में 2,226 लाभथियों को 759.11 लाख रुपये ऋण के रूप में संवितरित किए गए तथा ब्याज छूट के रूप में 150.56 लाख रुपये का दावा किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ने उक्त अवधि तक 179 लाभार्थियों को 58.00 लाख रुपए का ऋण संवितरित किया और ब्याज अनुदान के लिए 11.57 लाख रुपये का दावा किया। राष्ट्रीय आवास बैंक की योजना है कि आंध्र प्रदेश में कार्यरत अन्य क्षेत्रीय बैंकों के साथ इसी प्रकार के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए जाएं। इससे इस ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत लक्षित अधिक से अधिक जनसंख्या को लाभान्वित करने में राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रयास को और अधिक सफलता प्राप्त होगी।

रिवर्स मॉर्टगेज समर्थकारी ऋण वार्षिकी (आरएमएलईए) योजना पर संगोष्ठी

05 मई, 2010 को नगरपालिका सम्मेलन कक्ष, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में रिवर्स मॉर्टगेज समर्थकारी ऋण वार्षिकी (आरएमएलईए) पर दिनांक 05.05.2010 को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा हैल्पेज इंडिया तथा सिलीगुड़ी के रेज़ीडेंट वैलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित की गई।

इस संगोष्ठी में सिलीगुड़ी नगर निगम की माननीया मेयर सुश्री गंगोत्री दत्ता मुख्य अतिथि थीं। इसके इलावा इस संगोष्ठी में माननीय श्री डी.पी. रॉय, पूर्व संसद सदस्य, राज्य सभा, राष्ट्रीय आवास बैंक के सहायक महा प्रबंधक, श्री पी.आर. जयशंकर, राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक, श्री एम.बी. रॉय, हैल्पेज इंडिया की परामर्शदात्री, सुश्री एस चटर्जी, सिलीगुड़ी के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक तथा मुख्य प्रबंधक, तथा यूको बैंक, कोलकाता के मुख्य प्रबंधक उपस्थित थे।

श्री ओ. पी. पुरी उप महाप्रबंधक सेवा निवृत्त

राष्ट्रीय आवास बैंक में विभिन्न पदों पर लगभग 22 वर्षों तक कार्य करते हुए उप महाप्रबंधक के पद पर पदासीन होनेवाले श्री ओ पी पुरी 30 मई, 2010 को बैंक सेवा निवृत्त हो गए। इस दौरान बैंक के विभिन्न विभागो में कार्य करते हुए राजभाषा को निंरतर आने बढ़ाने के लिए प्रयासशील रहे। सेवा निवृत्ति के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बैंक के कार्यपालक निदेशक सहित सभी सह–कर्मियों ने शुभकामनाएं दी और सक्रिय दीर्घ जीवन की कामना। बैंक की गृहपत्रिका 'आवास भारती' की ओर से की ओ पी पुरी जी एवं उनके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं।

शहरी गरीबों के लिए आवास

ओ पी पुरी
उप महाप्रबंधक (सेवा निवृत)

आवास मानव की तीन आधारभूत जरूरतों 'रोटी, कपड़ा और मकान' में से एक है। आवास हमें प्रकृति की मार से बचाने में सहायक होता है। बहुत सारे अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि जिन लोगों के पास अपना घर होता है वे अपेक्षाकृत अधिक समाजिक, सभ्य, कानून को मानने वाले तथा दूसरों की असुविधाओं के लिए सचेत होने के साथ–साथ बेहतर स्वास्थ्य युक्त एवं संतुष्टि पूर्ण जीवन वाले होते हैं। सन् 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्तराष्ट्र सम्मेलन में यह कहा गया था – ''एक व्यक्ति के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, समाजिक एवं आर्थिक समृद्धि के लिए सुरक्षित एवं स्वस्थ रहवास राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए मूलभूत हिस्सा होना चाहिए।

शहरी अर्थव्यवस्था में गरीब लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहरों को गतिवान बनाने हेतु शारीरिक श्रम इन्हीं के द्वारा आपूरित होता है। ये लोग शहरी सुविधाओं के असली विन्यासक होते हैं, किन्तु उनका स्वयं का जीवन खराब सुविधाओं के कारण खतरे के घेरे में बीतता है। आवास के चक्र में सबसे ज्यादा भुक्त भोगी शहरी गरीब होते हैं।

दुनिया भर की लगभग 100 करोड़ जनसंख्या यानि कि हर 6 में से एक व्यक्ति के पास उपयुक्त अवास नहीं है और वे अनधिकृत कालोनियों, गंदी बस्तियों या झोपड़ पटिट्यों में रहते हैं। एक ओर जहां विकासशील देशों में 43% शहरी जनसंख्या झोपड़ पट्टियों में रह रही है, वहीं विकसित देशों की केवल 6% जनसंख्या झोपड़–पट्टियों में रहती है। भारत में 28.5 करोड़ से अधिक लोग शहरी क्षेत्रों में रहतें हैं। इसमें से 22.8% लोग अर्थात् 4.06 करोड़ से अधिक शहरी जनसंख्या देश के 607 शहरों के अधिसूचित झोपड़ पट्टी क्षेत्रों में रहते हैं। जोकि सन् 1981 में मात्र 17.05% था।

शहरी क्षेत्रों की झोपड़ पट्टियों एवं मलिन बस्तियों की 11% इकाइयों में पीने योग्य पानी, विद्युत तथा शौचालय जैसी अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इन बस्तियों के घरों में हवा का आवागमन पूर्णतः अवरूद्ध होता है। कुल मिलाकर, समूचा पर्यावरण बीमारियों तथा रूग्णता के खतरों से जूझ रहा होता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के पीले और निस्तेज चेहरे, विशेष रूप से बच्चों एवं औरतों के चेहरे सबकुछ बयान कर रहे होते हैं कि उन्हें स्वस्थ आवास एवं बेहतर पर्यावरण नहीं मिल रहा है। इन खतरों के साथ–साथ इस क्षेत्र के गरीब लोगों में एचआईवी/एड्स का फैलाव, नशीली दवाओं की लत, अशिक्षा एवं युवओं की बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या होती है।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, मुख्य चिंता का विषय सर्वोत्तम आवास उपलब्ध कराने की होती है क्योंकि आवास का अभाव एक बड़ी समस्या नहीं होती है। दूसरी ओर विकासशील एवं अर्ध विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शहरी गरीबों के लिए आवास प्रदान करना एक मूलभूत आवश्यकता होती है। भारत में झोपड़ पट्टी इलाकों की वृद्धि का मुख्य कारण अपर्याप्त ढांचागत संरचना का होना है। इसके अलावा, यद्यपि गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का औसत गिरावट दर्शाता है, तथापि झोपड़ पट्टी इलाकों में रहने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। झोपड़ पट्टी एवं मलिन बस्तियां प्रायः सरकारी जमीन पर प्राधिकरणों से टकराते हुए गैर कानूनी रूप से बसती हैं। हालांकि, वहां रहने वाले गरीबों के दिलों पर घर गिराने एवं अवासहीन होने की तलवार हर समय लटकती रहती है। यहां पर रहने वाले अधिकतर लोगों के बीच भाई चारे एवं अच्छे पड़ोसीपन के अहसास की कमी होती है। इसके साथ ही झोपड़पट्टी एवं मलिन बस्तियों के आस–पड़ोस में बसी अधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी इनके कारण खुद को असहज महसूस करते हैं।

ऐसी स्थिति में, वे अधिकारियों की सहायता से इन्हें हटाने के ढेर सारे प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त भारी मात्रा में प्राधिकरणों द्वारा भी इन्हें असफलता ही हाथ लगी हैं। उन इलाकों में असफलता अधिक रही, जहां पुनर्वसन के लिए उपलब्ध कराई गई वैकल्पिक जगहें अनुपयुक्त, परिवहन व्यवस्था से रहित एवं आवश्यक मूलभूत नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता नहीं थी। इस स्थिति में लोगों ने उन वैकल्पिक जगाहों को बेच दिया और पुनः उन्हीं झुग्गी बस्तियों की ओर लौट आए और फिर दूसरी जगह सरकारी जमीन पर बस गए। इस प्रकार से पुनर्वसन का यह समाधान स्वयं में एक समस्या बन गया।

दुनिया भर में, स्थानीय प्राधिकरण अपने शहर–नियोजन के अनुसार शहरी जनसंख्या के आवास हेतु भूमि या रहवास देने में असफल रही है। झुग्गी बस्तियों एवं मलिन बस्तियों की कुकुरमुत्ते की तरह वृद्धि होने परिणाम स्वरूप निजी भू स्वामियों के द्वारा अनधिकृत कालोनियों को तैयार करने का अवसर मिलता है। प्रारंभ में केवल शहरी गरीब लोग, जिनके पास नियोजित/अधिकृत कालोनी खरीदने या किराए लेने के लिए संसाधन नहीं होते हैं, इस प्रकार की अनधिकृत कालोनियों में जमीन खरीदते हैं और अनियोजित तरीके से अपने साधनों एवं अनौपचारिक क्षेत्र से उधारी के द्वारा मकान तैयार करते हैं। इस अनौपचारिक क्षेत्रों में औपचारिक क्षेत्रों की अपेक्षा ऋण बहुत उच्च ब्याज दर पर मिलते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक प्राधिकरणों को अभिप्रेरित कर पाने की असफलता, वोट बैंक की राजनीति ने इन अनधिकृत कालोनियों के समूहों को शहरों एवं नगरों में प्रस्थापित करने में मदद पहुँचाई है। इन कालोनियों में आधारभूत नागरिक सुविधाओं का तब तक अभाव रहता है तब तक कि सरकार

इन्हें अधिकृत नहीं कर देती हैं और ये शहर के माहौल को निम्न दर्जे का बनाने में भागीदार होती हैं। इसके अतिरिक्त यहां के निवासियों के पास अपना मकान होने के बावजूद, इन क्षेत्रों के लोग लगातार निम्न आवासों में रहते हैं। प्राधिकरणों की असफलता के साथ–साथ विभिन्न कानून भी शहरी गरीब लोगों के लिए टिकाऊ आवास को अधर में लटकाते हैं। भारत के संदर्भ में, नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 भूमि की कृत्रिम कमी के लिए व्यापाक रूप से जिम्मेदार है, परिणाम स्वरूप मुंबई एवं दिल्ली जैसे शहर विश्व के सबसे मंहगे आवासीय संपदा के बाजार बन गए हैं। नगर भूमि अधिनियम को 1976 में शहरी भूमि को अधिकार में लाने एवं शहरी भीड़ संकुलता को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी बजाय इसने भूमि की कमी पैदा कर दी क्योंकि भूमि मालिकों की 90% भूमि अतिरिक्त घोषित कर दी गयी जिससे भूमि उनके मालिकों के द्वारा मुकदमेवाजी से अवरूद्ध होकर रह गई। यह अधिनियम 1999 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और रिक्त भूमि कर तथा गरीब आर्थिक वर्ग तथा निम्न आय समूह के लिए आवासीय परियोजनाओं की स्वीकृति के प्रावधान लाए गए। यह उम्मीद की गई थी कि अधिनियम, 1999 आवास निर्माण के लिए उपयोगी भूमि की आपूर्ति करने में सहायक होगा। शेष राज्यों को भी जल्द से जल्द इसका अनुकरण करना चाहिए।

विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने अपने किराया नियंत्रण एवं मालिकाना हक एवं स्वात्वाधिकार अधिनियम बनाए हैं। हालांकि इन कानूनों ने मकान मालिकों के गले में फंदा सा डाला हुआ है, जहां अपनी संपति पर वापस कब्जा पाना एक दूरूह कार्य हो रहा है। इसके साथ ही किराए के आवासों में निवेश करना अलाभकारी सिद्ध हो रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि आवासों की आपूर्ति घटी, रख रखाव उपेक्षित हुआ और मकान मालिक तथा किराएदार के बीच मतभेद एवं मुकदमेबाजी बढ़ी है। यद्यपि कुछ राज्यों ने राहत के कुछ कदम उठाए हैं तथापि अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

आवासीय संपतियों की ऊंची कीमतें एवं वित्तीय क्षेत्र से ऋण की अनुपलब्धता के कारण गरीब वर्ग अधिकृत क्षेत्रों में घर बनाने में असमर्थ है। वित्तीय संस्थानों की ऋण प्रक्रिया भी गरीब अनुकूल नहीं है क्योंकि उनके पास नियमित आय का स्रोत नहीं होता। घर बुकिंग की शुरूआती रकम तथा अनधिकृत क्षेत्र के आवास पर रहने की व्यवस्था आदि न लागू होने से उन्हें ये संस्थान ऋण नहीं देते। इसके साथ ही यह भी धारणा है कि गरीब को दिए गए ऋण की वापसी का संभवतः भुगतान नहीं होगा। ऋण मेलों एवं ऋण माफी जैसी नीतियों ने आग में घी डालने जैसा काम किया है।

हालांकि, इसके ठीक विपरीत, सच्चाई गरीबों के अनुकूल है। धनाड्यों की अपेक्षा गरीबों की भुगतान वापसी ज्यादा बढ़िया है। बांग्लादेश में कार्यरत बांग्लादेश ग्रामीण बैंक गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण वितरण करते हैं, जहां उधारवापसी की दर 99% है, जबकि भारत में उधार वापसी की दर 90–95% तक है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक 10 साल की अवधि के लिए गरीबों को आवास ऋण देता है। इसके उधारकर्ता लघु स्थानीय समूह होते हैं। समूह के लोग ऋण चुकाने में भी सामूहिक जिम्मेदारी निभाते हैं। इस बैंक से 96% ऋण लेने वाली स्त्रियां होती हैं। अब तक बैंक ने लगभग 6 लाख गरीबों को आवास ऋण उपलब्ध कराया है।

ठीक इसी तरह की योजनाएं न्यूजीलैंड में प्रचलित हैं। जिसे लघु जमा ऋण योजना कहते हैं। इसके अंतर्गत घर का मालिक बनना, मरम्मत एवं रख रखाव कौशल तथा घर पर सुरक्षा जैसी बातें भी सिखाई जाती हैं। ऋण कर्ताओं को 3% जमा राशि देनी होती है, खरीद के पश्चात गै.स. संगठन उपलब्ध कराते हैं। बहुत लघु बचत जमा के बावजूद राशि बकाया की कोई शिकायतें नहीं हैं।

यूएन पर्यावास 2001 में आवास के लिए माइक्रों फाइनेंस एक प्रभावी उपागम के रूप में सुझाया गया है। फिलीपीन्स में विभिन्न शहरों के गरीब समुदायों ने अपनी लघु बचतों को एक कोष में जमाकर सामूहिक पूंजी बनाकर तथा कई बचत समुदायों ने एक साथ मिलकर एक संघ बनाया और शहरी गरीब समुदायों की आवास समस्या को सुलझाने में अच्छी सफलता पाई है। (इस बारे में आवास भारती के पूर्व अंक में विस्तृत लेख भी छपा है)। ठीक इसी प्रकार से दक्षिण

अफ्रीका में भी झुग्गीवासियों ने अपनी बचत योजनाओं को समन्वित किया। विकसित देशों में भी सामाजिक आवास योजनाएं हैं जिसके तहत गरीबों को अनुकूल आवास उपलब्ध कराने के लिए समर्थन दिया जाता है। भारत सरकार ने भी 1986 में बीस सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसमें गरीबों के लिए घर एवं सशक्तीकरण शामिल था। बाद में भारत सरकार ने आवास वित्त और वाल्मिकी अंबेडकर आवास योजना चलाकर शहरी गरीबों के लिए 1.26 लाख घर एवं 21,700 शौचालय बनाए।

भारत में पिछले 5 सालों में गै.स. संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों ने वाणिज्यिक बैंकों के सहयोग से गरीबों के लिए आवास के लिए अच्छा काम किया है। और एक अनुमान के मुताबिक शहरी एवं ग्रामीण गरीबों के लिए 11 लाख इकाइयां बनाई और लगभग 3,900 करोड़ रूपया ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराया। इन सभी की वसूली दर 98% रही और स्वयं सहायता समूहों में लगभग 90% महिला सदस्य हैं।

यहां पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी कि गरीबों के लिए घर उपलब्ध कराने के लिए गै.स.संगठन और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना आसान एवं सफलता दायक हैं। विभिन्न अनुभवों से यह बात निकल कर आती है कि शहरी गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु एक मिशनरी भावना एवं जोश की जरूरत हैं इसमें वित्तीय संस्थानों के साथ गै.स.संगठन एवं स्वयं सहायता–समूहों को समन्वित कर जरूरतमंद गरीबों तक पहुंच सीधे बनाई जाए। इसमें बिचौलिये नहीं बल्कि गरीबों को ऋण से पूर्व

परामर्श और ऋण पश्चात निगरानी के तंत्र से जोड़ा जाए। जहां तक संभव हो वित्तीय सहायता बचत बनाम साफ्ट लोन के द्वारा जोड़कर आवास योजना प्रारंभ की जाए। वित्त सहायता या अनुदान का उपयोग–गरीबों को कम ब्याज दर पर ऋण, ऋणदाता के लिए गारंटी, पुनः भुगतान, फंड की गई संपदा को बीमित करने तथा समय पर भुगतान हेतु लाभांश देने के रूप में किया जाए।

अंत में मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आदमी के सपनों का घर हवा में नहीं, बल्कि जमीन पर बनता है। यदि गरीब के पास जगह ही नहीं होगी तो उसके लिए वित्तीय सहायता बेकार है। शहरी गरीबों को झुग्गी–झोपड़ियों से उठाकर पुनर्वास बस्तियों में बसा देने मात्र से समस्या हल नहीं होती है। यह देखना अधिक जरूरी है कि पुनर्वास कालोनी में सारी भूलभूत सुविधाएं होने के साथ–साथ आवागमन के साधन व उन तक सस्ती पहुंच के साधन भी उपलब्ध हों। यदि एक दिहाड़ी मजदूर 150–200 रु. कमाने के लिए प्रतिदिन आवागमन में 50–60 रु. खर्च करेगा तो वह उस पुनर्वास बस्ती की बजाए झुग्गी बस्तियों की ओर पुनः भाग लेगा। इसलिए इसका समग्र उपागम यह है कि पुनर्वास का निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाए।

आज एक बार फिर नीति निर्धारकों, सरकारों एवं योजनाकारों को दूरदर्शिता से निर्णय लेने होंगे ताकि शहरों की ओर भागने वाली रोजगार की तलाश में ग्रामीण जनता को यथा सम्भव उसके आस–पास ही रोजगार मुहैया हो। ग्रामीण जनता के पलायन को रोकने के लिए ''काम के बदले अनाज'' तथा ''रोजगार गारंटी कार्यक्रम'' को प्रभावी तरीके से एवं ईमानदारी के साथ लागू किया जाए। ग्रामीण गरीब कच्चे एवं फूस के घरों में रहते हैं। अतः उन्हें पक्के एवं मजबूत घरों की जरूरत होती है ताकि मौसम के उपद्रवों को झेल सकें।

आवास में जहां जमीन और वित्त की महत्ता है, वहीं लागत कम करने के लिए आवश्यक है कि स्थानीय तकनीक, सामग्री, शिल्प एवं संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए; ताकि कम लागत में अच्छे मजबूत मकान बन सकें। इन सभी प्रयासों के बावजूद, कुछ गरीब फिर भी घर पाने से वंचित रह सकते हैं। ऐसे लोगों को सस्ते किराए के घर उपलब्ध कराये जाने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक इसी तरह से बड़े–बड़े उद्योगपतियों, मिल मालिकों को अपने श्रमिकों को सस्ती दर के किराए पर या न्यूनतम मूल्य पर आवास उपलब्ध कराने चाहिए।

ऐसे गरीब लोग भी हैं जो बामुश्किल दो वक्त का भोजन जुटा पाते हैं। वे अपने लिए किराए का घर लेने की कल्पना तक नहीं कर सकते। ऐसे लोगों का सार्वजनिक रैन बसेरे या धर्मशालाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि अच्छा घर केवल ईंट–गारे या सीमेंट–चूने और स्टील आदि से नहीं बनता; बल्कि उसमें रहने वालों से बनता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सब कामों में मानवता का पुट दें। हमारी संस्कृति और परंपरा में निहित 'वसुधैव कुटुंबकम' के भाव को आगे बढ़ाएं। सामूहिक भावना को बढ़ावा देते हुए अनेकता में एकता का भाव भरें। हमारे सबके आवास एक अच्छा पड़ोस, अच्छा समुदाय का हिस्सा बनें और सद्भाव, सहयोग एवं आनंद का स्थल बनें।

औपनिवेशिक भारत में नगर नियोजन और भवन निर्माण (भाग-2)

(मुंबई (बम्बई) में भवन निर्माण)

राजीव कुमार श्रीवास्तव
प्रबंधक

यदि शाही दृष्टि को साकार करने का एक तरीका नगर–नियोजन था तो दूसरा तरीका यह था कि शहरों की भव्य इमारातों में मोती टाँक दिए जाएँ। शहरों में बनने वाली इमारतों में किले, सरकारी दफ़्तर, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक इमारतें, स्मारकीय मीनारें, व्यावसायिक डिपो, यहाँ तक कि गोदियाँ और फल मंडिया कुछ भी हो सकता था। बुनियादी तौर पर ये इमारतें रक्षा, प्रशासन और वाणिज्य जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती थीं, लेकिन ये साधारण इमारतें नहीं थीं। अकसर ये इमारतें शाही सत्ता, राष्ट्रवाद और धार्मिक वैभव जैसे विचारों का प्रतिनिधित्व भी करती थीं। आइए देखें कि मुंबई में इस सोच को अमली जामा किस तरह पहनाया गया। शुरुआत में मुंबई सात टापुओं का इलाका था। जैसे–जैसे आबादी बढ़ी इन टापुओं को एक–दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज्यादा जगह पैदा की जा सके। इस तरह आखिरकार ये टापू एक–दूसरे से जुड़ गए और एक विशाल शहर अस्तित्व में आया।

मुंबई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। उन्नीसवीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात मुंबई से ही होता था। इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। भारतीय व्यापारी और बिचौलिये इस व्यापार में हिस्सेदार थे और उन्होंने मुंबई की अर्थव्यवस्था को मालवा, राजस्थान और सिंध् जैसे अफीम उत्पादक इलाकों से जोड़ने में मदद दी। कंपनी के साथ यह गठजोड़ उनके लिए मुनाफे का सौदा था और इससे भारतीय पूँजीपति वर्ग का विकास हुआ। मुंबई के पूँजीपति वर्ग में पारसी, माखाड़ी, कोंकणी मुसलमान, गुजराती बनिये, बोहरा, यहूदी और आर्मीनियाई आदि विभिन्न समुदायों के लोग शामिल थे।

जैसा कि हम जानते है; जब 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध हुआ तो अमेरिका के दक्षिणी भाग से आने वाली कपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आना बंद हो गई। इससे भारतीय कपास की माँग पैदा हुई, जिसकी खेती मुख्य रूप से दक्कन में की जाती थी। भारतीय व्यापारियों और बिचौलियों के लिए यह बेहिसाब मुनाफें का मौका था। 1869 में स्वेज नहर को खोला गया जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ मुंबई के संबंध और मजबूत हुए। मुंबई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए मुंबई को भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध तक मुंबई में भारतीय व्यापारी कॉटन मिल जैसे नए उद्योगों में अपना पैसा लगा रहे थे। निर्माण

गतिविधियों में भी उनका काफ़ी दखल रहता था। जैसे–जैसे मुंबई की अर्थव्यवस्था फैली, उन्नीसवीं सदी के मध्य से रेलवे और जहाजरानी के विस्तार तथा प्रशासकीय संरचना विकसित करने की जरूरत भी पैदा होने लगी। उस समय बहुत सारी नयी इमारतें बनाई गईं। इन इमारतों में शासकों की संस्कृति और आत्मविश्वास झलकता था। इनकी स्थापत्य या वास्तु शैली यूरोपीय शैली पर आधारित थी। यूरोपीय शैलियों के इस आयात में शाही दृष्टि कई तरह से दिखाई देती थी। पहली बात, इसमें एक अजनबी देश में जाना–पहचाना सा भूदृश्य रचने की और उपनिवेश में भी घर जैसा महसूस करने की अंग्रेजों की चाह प्रतिबिंबित होती है। दूसरा, अंग्रेजों को लगता था कि यूरोपीय शैली उनकी श्रेष्ठता, अधिकार और सत्ता का प्रतीक होगी। तीसरा, वे सोचते थे कि यूरोपीय ढंग की दिखने वाली इमारतों से औपनिवेशिक स्वामियों और भारतीय प्रजा के बीच फ़र्क और फ़ासला साफ़ दिखने लगेगा।

शुरुआत में ये इमारतें परंपरागत भारतीय इमारतों के मुकाबले अजीब सी दिखाई देती थीं। लेकिन धीरे–धीरे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैली के आदी हो गए और उन्होंने इसे अपना लिया। दूसरी तरफ़ अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों के मुताबिक कुछ भारतीय शैलियों को अपना लिया। इसकी एक मिसाल उन बंगलों को माना जा सकता है जिन्हें मुंबई और पूरे देश में सरकारी अफ़सरों के लिए बनाया जाता था। इनके लिए अंग्रेजी का बैंगलो शब्द बंगाल के 'बंगला' शब्द से निकला है जो एक परंपरागत फूस की बनी झोंपड़ी होती थी। अंग्रेजों ने उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल लिया था। औपनिवेशिक बंगला एक बड़ी जमीन पर बना होता था। उसमें रहने वालों को न केवल प्राइवेसी मिलती थी बल्कि उनके और भारतीय जगत के बीच फ़ासला भी स्पष्ट हो जाता था। परंपरागत ढलवाँ छत और चारों तरफ़ बना बरामदा बंगले को ठंडा रखता था। बंगले के परिसर में घरेलू नौकरों के लिए अलग से क्वार्टर होते थे। सिविल लाइन्स में बने इस तरह के बंगले एक खालिस नस्ली गढ़ बन गए थे जिनमें शासक वर्ग भारतीयों के साथ रोजाना सामाजिक सम्बन्धों के बिना आत्मनिर्भर जीवन जी सकते थे।

सार्वजनिक भवनों के लिए मौटे तौर पर तीन स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया। दो शैलियाँ उस समय इंग्लैंड में प्रचलित चलन से आयातित थीं। इनमें से एक शैली को नवशास्त्रीय या नियोक्लासिकल शैली कहा जाता था। बड़े–बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणितीय संरचनाओं का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय किया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर से अनुकूल माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती थी उसे शाही भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इस स्थापत्य शैली के भूमध्यसागरीय उद्गम के कारण उसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया। 1833 में मुंबई का टाउन हॉल इसी शैली के अनुसार बनाया गया था। 1860 के दशक में सूती कपड़ा उद्योग में तेजी के समय बनाई गयी बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों के समूह को एलफ़िस्टन सर्कल कहा जाता था। बाद मे इसका नाम बदलकर हॉर्निमान सर्कल रख दिया गया था। यह नाम भारतीय राष्ट्रवादियों की हिमायत करने वाले एक अंग्रेज संपादक के नाम पर पड़ा था। यह इमारत इटली की इमारतों से प्रेरित थी। इसमें पहली मंजिल पर ढके हुए तोरणपथ का रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल किया गया। दुकानदारों व पैदल चलने वालों को तेज धूप और बरसात से बचाने के लिए यह सुधार काफी उपयोगी था।

एक और शैली जिसका क़ाफी इस्तेमाल किया गया वह नव–गॉथिक शैली थी। ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबें और बारीक साज–सज्जा इस शैली की खासियत होती है। गॉथिक शैली का जन्म इमारतों, खासतौर से गिरजों से हुआ था जो मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में काफ़ी बनाए गए। नव–गॉथिक शैली को इंग्लैंड में उन्नीसवीं सदी के मध्य में दोबारा अपनाया गया। यह वही समय था जब मुंबई में सरकार बुनियादी ढाँचे का निर्माण कर रही थी। उसके लिए यही शैली चुनी गई। सचिवालय, मुंबई विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय जैसी कई शानदार इमारतें समुद्र किनारे इसी शैली में बनाई गईं। इनमें से कुछ इमारतों के लिए भारतीयों ने पैसा दिया था। यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर कोवासजी जहाँगीर रेडीमनी ने पैसा दिया था जो एक अमीर पारसी व्यापारी थे। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर का निर्माण प्रेमचंद रॉयचंद के पैसे से किया गया था और इसका नाम उनकी माँ के नाम पर राजाबाई टावर रखा गया था। भारतीय व्यापारियों को नव–गॉथिक शैली इसलिए रास आती थी क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए बहुत सारे विचारों की तरह उनकी भवन निर्माण शैलियाँ भी प्रगतिशील थीं और उनके कारण मुंबई को एक आधुनिक शहर बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन नव–गॉथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनल्स है जो कभी ग्रेट इंडियन पेनिन्स्युलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। जो आजकल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है।

अंग्रेजों ने शहरों में रेलवे स्टेशनों के डिजाइन और निर्माण में काफ़ी निवेश किया था क्योंकि वे एक अखिल भारतीय रेलवे नेटवर्क के सफल निर्माण को अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते थे। मध्य मुंबई के आसमान पर इन्हीं इमारतों का दबदबा था और उनकी नव–गॉथिक शैली शहर को एक विशिष्ट चरित्र प्रदान करती थी। बीसवीं सदी की शुरुआत में एक नयी मिश्रित स्थापत्य शैली को इंडो–सारासेनिक शैली का नाम दिया गया था। इंडो शब्द हिन्दु का संक्षिप्त रूप था जबकि सारासेन शब्द का यूरोप के लोग मुसलमानों का संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ की मध्यकालीन इमारतों – गुम्बदों, छतरियों, जालियों, मेहराबों से यह शैली काफ़ी प्रभावित थी। सार्वजनिक वास्तु शिल्प में भारतीय शैलियों का समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि व यहाँ के स्वाभाविक शासक हैं।

राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ़ इंडिया बनाया गया। यह परंपरागत गुजराती शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है। उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने इसी शैली में ताजमहल होटल बनवाया था। यह इमारत न केवल भारतीय उद्यमशीलता का प्रतीक थी बल्कि अंग्रजों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले नस्ली क्लबों और होटलों के लिए एक चुनौती भी थी। मुंबई के ज़्यादा भारतीय इलाकों में सजावट एवं भवन–निर्माण और साज–सज्जा में परंपरागत शैलियों का ही बोलबाला था। शहर में जगह की कमी और भीड़–भाड़ की वजह से मुंबई में खास तरह की इमारतें भी सामने आईं जिन्हें चॉल का नाम दिया गया। ये बहुमंजिला इमारतें होती थीं। जिनमें एक–एक कमरे वाली आवासीय इकाइयाँ बनाई जाती थीं। इमारत के सारे कमरों के सामने एक खुला बरामदा या गलियारा होता था और बीच में दालान होता था। इस तरह की इमारतों में बहुत थोड़ी जगह में बहुत सारे परिवार रहते थे जिससे उनमें रहने वालों के बीच मोहल्ले की पहचान और एकजुटता का भाव पैदा हुआ।

इमारतें और स्थापत्य शैलियाँ क्या बताती हैं?

स्थापत्य शैलियों से अपने समय के सौंदर्यात्मक आदर्शों और उनमें निहित विविधताओं का पता चलता है। लेकिन, जैसा कि हमने देखा, इमारतें उन लोगों की सोच और नजर के बारे में भी बताती हैं जो उन्हें बना रहे थे। इमारतों के जरिए सभी शासक अपनी ताकत का इजहार करना चाहते हैं। इस प्रकार एक खास वक्त की स्थापत्य शैली को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि उस समय सत्ता को किस तरह देखा जा रहा था और वह इमारतों और उनकी विशिष्टताओं – इर्ट–पत्थर, खम्भे और मेहराब, आसमान छूते गुम्बद या उभरी हुई छतें – के जरिए किस प्रकार अभिव्यक्त होती थी। स्थापत्य शैलियों से केवल प्रचलित रुचियों का ही पता नहीं चलता। व उनको बदलती भी हैं। वे नयी शैलियों को लोकप्रियता प्रदान करती हैं और संस्कृति की रूपरेखा तय करती हैं।

जैसा कि हमने देखा, बहुत सारे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैलियों को आधुनिकता व सभ्यता का प्रतीक मानते हुए उन्हें अपनाने लगे थे। लेकिन इस बारे में सबकी राय एक जैसी नहीं थी। बहुत सारे भारतीयों को यूरोपीय आदर्शों से आपत्ति थी और उन्होंते देशी शैलियों को बचाए रखने का प्रयास किया । बहुतों ने पश्चिम के कुछ ऐसे खास तत्वों को अपना लिया जो उन्हें आधुनिक दिखाई देते थे और उन्हें स्थानीय परंपराओं के तत्वों में समाहित कर दिया ।

उन्नीसवीं सदी के आखिर से हमें औपनिवेशिक आदर्शों से भिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अभिरुचियों को परिभाषित करने के प्रयास दिखाई देते हैं। इस तरह सांस्कृतिक टकराव की वृहद प्रक्रियाओं के जरिए विभिन्न शैलियाँ बदलती और विकसित होती गईं। इसलिए स्थापत्य शैलियों को देखकर हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि शाही और राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय/स्थानीय के बीच सांस्कृतिक टकराव और राजनीतिक खींचतान किस तरह शक्ल ले रही थी।

भारत के प्राचीन शहर
वाराणसी

रंजन कुमार बरून
प्रबंधक

भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में पवित्र गंगा नदी के तट पर यह शहर स्थित है। यहां पर गंगा नदी ने अर्धचन्द्राकार आकृति ली हुई है। यह शहर भौगोलिक रूप से 82.56 डिग्री पूर्व से 83.03 डिग्री पू. देशांतर एवं 25 डिग्री 14 डिग्री उत्तर–23 से 23.5 उत्तरी अक्षांस रेखाओं के बीच स्थित है। चूंकि यह जिला उत्तरी–गंगा मैदान में स्थित है अतः यहां की भूमि समतल एवं उपजाऊ है।

वाराणसी को बनारस या काशी के नाम से भी जानते हैं। इसे हिन्दुओं का सबसे पवित्र शहर माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति यहां पवित्र गंगा में स्नान कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार यह विश्व का सर्वाधिक प्राचीन शहर है जो अभी तक आबाद है। बीबीसी के सुप्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक मार्क ट्विन कहते हैं, ''बनारस शहर इतिहास से भी अधिक प्राचीन, परंपराओं से अधिक प्राचीन तथा किवंदतियों भी अधिक पुराना है और यदि इन सबको एक साथ रखा जाए तो यह उन सबसे भी दो गुना अधिक प्राचीन है।

वाराणसी या बनारस नाम पड़ने के पीछे यह माना जाता है कि यह शहर वरूना एवं असी नदियों के साथ गंगा नदी के संगम पर स्थित होने के कारण वरूना असी अर्थात् वरूनासी से उत्पन्न होकर वाराणसी या बनारस बना है। कहते हैं प्राचीन काल में वरूना नदी को वाराणसी भी कहा जाता था। ऋग्वेद में इस शहर का नाम कासी/काशी के रूप में संदर्भित किया जाता है। स्कंध पुराण में कसिखंदा के रूप वर्णित किया गया है।

जनश्रुतियां एवं इतिहास :– जनश्रुतियों के अनुसार इस शहर की स्थापना हिन्दूओं के आदि देव भगवान श्री शिवजी ने हजारों वर्ष पूर्व की थी। इसीलिए इसे शिव की नगरी के रूप में हिन्दुओं का सबसे पवित्रतम शहर माना जाता है। बहुत सारे हिन्दू प्राचीन ग्रंथों–जैसे कि ऋग्वेद, स्कंध पुराण, रामायण एवं महाभारत आदि में इसके बारे में वर्णन किया गया है। कई सारे देशी–विदेशी विद्धानों का मानना है कि यह शहर तब बसाया गया होगा, जब पहली बार भारत में आर्य आए। भगवान शिव जी उस समय जंबू दीप (प्राचीन भारत) के सबसे लोक प्रिय नायक थे। उसी दौरान उन्होंने वाराणसी को अपना कार्यस्थल बनाया तथा आर्यों का स्वागत किया। उन्होंने आर्यों एवं तत्कालीन निवासियों के बीच संबंधों का प्रगाढ़ करने के लिए महाराज दक्ष की आर्य कन्या 'सती' से विवाह किया और सती की मृत्यु के पश्चात हिमालयराज की पुत्री 'पार्वती' से विवाह किया था। जो दो सभ्यताओं के बीच मैत्री का सबसे बड़ा उदाहरण था।

सामान्यतः विद्धानों का मानना है कि यह शहर 8 से 10 हजार वर्ष प्राचीन है। एक तरफ जहां ऋग्वेद, रामायण, महाभारत एवं स्कंध पुराण में इसका वर्णन मिलता है, वहीं दूसरी और गौतम बुद्ध का ज्ञानबोध होने के बाद सारनाथ (वाराणसी के निकट) प्रथम संबोधन का स्थल है। जिसके ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है। इसके साथ ही चीनी यात्री हवेन्सयांग ने अपने यात्रा विवरण में शहर को एक धार्मिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में वर्णित किया है।

धार्मिक नगरी : बनारस हिन्दुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ और कई मायनों में पवित्रम स्थल है। इस शहर में प्रतिवर्ष एक करोड़ से अधिक तीर्थ यात्री आते हैं। यहां का प्रमुख पवित्र तीर्थ स्थल काशी विश्वनाथ का मंदिर है जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिलिंगो में से एक यहां स्थापित है। हिन्दुओं की मान्यता हैं कि इस तीर्थ स्थल में शिवलिंग के दर्शन और गंगा स्नान से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और बनारस में मरने वाले व्यक्ति की आत्मा सीधे स्वर्ग को जाती है तथा व्यक्ति को जीवन–मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है।

बनारस को हिन्दू एक शक्ति पीठ के रूप में भी मानते हैं। कहते हैं कि देवी सती के कान का कुडंल जहां गिरा था, वहीं पर विशालाक्षी मंदिर स्थित है। इसके साथ स्वयं पवित्र गंगा नदी को भी शक्ति का अवतार माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने काशी में हिन्दूवाद पर मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया था तथा यहीं पर रहकर हिन्दू धर्म के बारे में व्याख्या लिखी थी। यहां शैव एवं वैष्णव संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं।

बनारस बौद्धों के लिए भी एक प्राचीन एवं पवित्र तीर्थ स्थल है। बनारस के निकट ही सारनाथ है जहां भगवान बुद्ध ने अपने पहला उपदेश दिया था। यहां अशोक से पूर्व का धार्मिक स्तूप है तथा अशोक कालीन शिलालेख आदि स्थित हैं। हिन्दुओं एवं बौद्धों के साथ–साथ वाराणसी जैनियों के लिए भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि यही पर जैनियों के तेइसवें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था।

पवित्र घाट : बनारस अपने घाटों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां गंगा किनारे लगभग 100 घाट स्थित हैं। यहां पर बहुत सारे घाट मराठा शासकों के दौरान बनाए गए। ये अधिकतर घाट गंगा स्नान के लिए बनाए गए, जबकि कुछेक घाट अंतिम संस्कार अर्थात् दाह–संस्कार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहां पर कुछ घाट सार्वजनिक है तो

कुछ निजी भी है। पूर्व काशी नरेश के घाट को शिमला या कालीघाट कहते हैं। यहां के कुछ घाटों का बहुत अधिक धार्मिक एवं कर्मकांडी महत्व है। जैसा कि दशाश्वमेघ घाट, मणिकर्णिका घाट, सिंधिया घाट, मनमंदिर घाट, ललिता घाट आदि।

दशाश्वमेघ घाट विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ तथा अपूर्व एवं चमत्कारिक महत्व का है। इसके साथ कई किवंदितयां जुड़ी है जिनमें से एक यह कि भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के स्वागत के लिए इसका निर्माण किया था। यहां पर ब्रह्मा जी ने 10 अश्व यज्ञ में बलिदान किए थे। यहां पर प्रतिदिन पुजारियों का एक दल भगवान शिव, गंगा जी, सूर्य, अग्नि एवं पूरे ब्रह्मांण की अग्निपूजा (आरती) करते हैं।

मणिकर्णिका घाट के बारे में दो–किवदंतियां प्रचलित है। एक के अनुसार भगवान शिव ने अपने चक्र से एक गड्ढा खोदा और विभिन्न तपस्याओं के श्रम के पसीने से उसे भर दिया। जिसे भगवान विष्णु देख रहे थे जिसमें उनके कान का कुंडल गिर पड़ा। दूसरी किवंदती के अनुसार भगवान शिव प्रायः अपने भक्तों की पुकार सुनकर चले

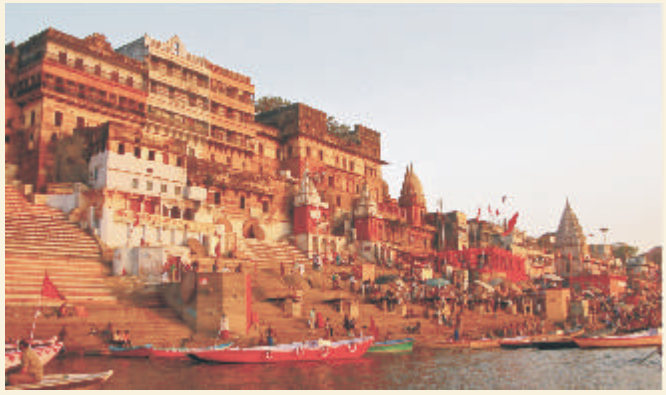

जाते थे, अतः उन्हें रोकने के लिए देवी पार्वती ने गंगा में अपना कुंडल गिरा दिया ताकि उसे ढूंढने के चक्कर में शिव जी देवी पार्वती को छोड़कर नहीं जाएंगे। कहते हैं कि भगवान शिव आज तक उसे ढूंढ रहे हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार इसी मणिकर्णिका घाट के स्वामी (डोम) के पास दानवीर एवं सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र ने नौकरी की थी। आज भी यहां पर मृत शरीरों का दाह संस्कार किया जाता है।

इसके अलावा मराठा शासन काल में सिंधिंया घाट बना जो सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। यहां अग्निदेवता का जन्म हुआ था। लोग वीर पुत्र की कामना के लिए यहां आते हैं। महाराजा जयसिंह ने 1770 में मनमंदिर घाट बनाया था। इस घाट पर सोमेश्वर लिंग का मंदिर है। नेपाल के राजा ने वाराणसी के उत्तर क्षेत्र में ललिता घाट बनवाया जहां काठमांडू की शैली में भगवान विष्णु का गंगा–केशव मंदिर स्थित है। इसके अलावा आंबेर के राजा मानसिंह द्वारा निर्मित मन–सरोवर घाट, दरभंगा के महाराजा द्वारा निर्मित दरभंगा घाट तथा रामचरित मानस की रचना स्थली के रूप में तुलसीघाट स्थित हैं।

मंदिर : वाराणसी को यदि ''मंदिरो की नगरी'' कहा जाए तो गलत न होगा। लगभग हर चौराहे के आस–पास एक मंदिर अवश्य स्थित है। इनमें से कुछेक विशाल मंदिर बनारस के इतिहास के साक्षी रहे हैं–

काशी विश्वनाथ मंदिर : इसे विश्वनाथ मंदिर या गोल्डेन टेंपल के नाम से ही जानते हैं। जहां प्राचीन विश्वनाथ मंदिर स्थित था, उसे मुगल बादशाह औरगंजेब ने तुड़वा दिया था और उसकी जगह पर एक विशाल मस्जिद बनवा दी थी। जिसके कारण आज भी हिन्दू–मुस्लिम के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होल्कर के नेतृत्व में बना जो मस्जिद के साथ गंगा के तट पर निर्मित किया गया। विश्वेश्वर या विश्वनाथ हिन्दुओं के लिए पवित्रतम मंदिर है तथा यहां पर स्थापित विश्वनाथ ज्योर्तिलिंग सर्वाधिक महत्व का माना जाता है। इस मंदिर के आगे सन् 1785 तत्कालीन गर्वनर जनरल वारेन हेस्टिंगस के अनुरोध पर कलेक्टर मोहम्मद इब्राहिम खां ने नौबत खाना बनवाया था। 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने दो गुबंजों को सोने से मढ़वाया था।

दुर्गा मंदिर : इसे ''मंकी टेपंल'' के नाम से भी जानते हैं। इसे 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका नाम मंकी मंदिर पड़ने का कारण मंदिर परिसर में भारी संख्या में बंदरो की उपस्थिति का होना है। जनश्रुति के अनुसार दुर्गा की वर्तमान प्रतिमा मानवनिर्मित नहीं है, बल्कि स्वयं धरती से प्रकट हुई थी।

संकट मोचन मंदिर : यह मंदिर श्रीराम भक्त श्री हनुमान जी के लिए अर्पित है और स्थानीय लोगों में बहुत लोकप्रिय है। यहां पर अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक त्यौहार मनाए जाते हैं। प्रतिदिन आरती के समय सुबह एवं शाम को भारी संख्या में भक्त एकत्र होते हैं।

मानस मंदिर : यह मंदिर संत श्री तुलसीदास की अमरकृति श्री रामचरित मानस की स्मृति के रूप में बनाया गया है। इस मंदिर के संगमरमर के पत्थरों पर रामचरित मानस की चौपाइयों एवं दोहों को उंकेर कर तैयार किया गया है। स्थानीय भक्तों के साथ–साथ देश–विदेश के यात्री इसके दर्शन के लिए अवश्य आते हैं।

व्यास मंदिर–रामनगर : एक लोकप्रिय पौराणिक कथा के अनुसार जब व्यास–ऋषि को वाराणसी नगर में भीख नहीं मिली तो उन्होंने श्राप देने की ठान ली। लेकिन तभी एक घर से, जहाँ शिव एवं पार्वती मानव वेश में रह रहे थे, इतनी भिक्षा व्यास ऋषि को प्राप्त हुई कि वे मारे खुशी मे अपना शाप ही भूल गए। हालांकि व्यास जी के क्रोधी स्वभाव के कारण शिवजी ने व्यास जी को काशी में रहने से वंचित कर दिया, फलस्वरूप वे गंगा की दूसरी तरफ रामनगर में रहे, जहाँ अब मंदिर स्थित है।

बिरला मंदिर या न्यूविश्वनाथ मंदिर : इस मंदिर का निर्माण बिरला औद्योगिक घराने के राजा बिरला द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रतिकृति के रूप में बनाया गया। इस मंदिर को महामना मदनमोहन मालवीय की नियोजनानुसार वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में बनाया गया। यह मंदिर सभी वर्ग, धर्म एवं जाति के लोगों के लिए खुला रहता है।

भारत माता मंदिर : वाराणसी में स्थित भारतमाता मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो भारत माता को समर्पित है। यह मंदिर महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। इस मंदिर को बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने बनवाया और 1936 में महात्मा गाँधी के करकमलों द्वारा उद्घाटित किया गया। यहाँ पर संगमरमर के पत्थर पर उंकेरी गई भारतमाता की मूर्ति है तथा उसमें अखंड भारत को एक मॉडल (मानचित्र) है जिस पर पहाड़ नदियां, मैदान एवं समुद्र चिन्हित हैं।

वाराणसी की कला एवं साहित्य : वाराणसी का कला एवं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान है। महान चिकित्सक एवं सुश्रुत संहिता क लेखक श्री सुश्रुत की कर्मभूमि बनारस थी संस्कृत व शास्त्रों के परम विद्वान मंडन मिश्र यहीं पैदा हुए थे जिन्होनें आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। यहां पर भारत के अनेक महान संत, कवि एवं लेखक पैदा हुए हैं। इस शहर में संत तुलसीदास ने श्री रामचरित मानस जैसे उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना की। यही नहीं यहां 15वीं शती में मनुस्मृति के टीकाकार कुलुका भट्ट तथा हिन्दी भाषा के खड़ी बोली स्वरूप के प्रणेता एवं जनक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पैदा हुए। इसके बाद बाबू जयशंकर प्रसाद, आचार्य शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जगन्नाथ प्रसाद, 'रत्नाकर', देवकी नंदन खत्री, हजारीप्रसाद द्विवेदी, तेन अली, क्षेत्रेस चंद चट्टोपाध्याय, वागीश शास्त्री, बल्देव उपाध्याय, सुदाभा पांडे (धूमिल) एवं विद्यानिवास मिश्र आदि पैदा हुए।

इसके अलावा कला प्रेमी इतिहासकार राय कृष्णदास, उनके बेटे आनंदकृष्ण, संगीतकार ओमकारनाथ ठाकुर, रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, गिरिजा देवी, सिद्धेश्वरी देवी, लालमणि मिश्रा, उनके पुत्र गोपाल शंकर मिश्रा, कंठे महाराज, एम.वी.कालविंत, सितारादेवी, गोपीकृष्ण, किशनमहाराज, राजन व साजन मिश्र, महादेव मिश्र तथा अनेकों लोग वाराणसी के संगीत को सजीव बनाए हुए हैं। यहां पर देसी, कजरी, चैतीमेला, बुढ़वामंगल जैसे अनेक संगीतपूर्ण उत्सवों का आयोजन किया जाता है।

अन्य दर्शनीय स्थल

सरस्वती भवन – (रामनगर किला में) : रामनगर किला में स्थित सरस्वती भवन में अनेक हस्तलिपियां, विशेष रूप से धार्मिक महत्व की कृतियां उपलब्ध है। यहां पर तुलसीदास जी की हस्तलिपियां उपलब्ध है।

जंतर–मंतर वाराणसी : जयपुर के महाराज जयसिंह ने 1737 में यहां जंतर–मंतर का निर्माण कराया। महाराजा जयसिंह विज्ञान एवं तकनीकी के साथ–साथ खगोलविज्ञान दीवाने थे, तभी तो उन्होंने जयपुर, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन के क्रम में बनारस मे भी वेधशाला स्थापित कराई।

रामनगर का किला : अंग्रेज शासकों ने 1910 में वाराणसी को अलग राज्य घोषित कर दिया और रामनगर को राजधानी बनाया गया। रामनगर किले में काशी नरेश आज भी रहते हैं। इस किले को अठारहवीं शताब्दी में चुनार–बालू पत्थरों से बनाया गया था। यह मुगल शैली में बना है। इसके अलावा महाराजा चेत सिंह द्वारा शिवाला घाट पर बनवाया गया चेत सिंह पलैस भी दर्शनीय है। रामनगर किला एवं संग्रहालय में वाराणसी एवं वाराणसी के राजसिंहासन का इतिहास विद्यमान है। वाराणसी के आस–पास कई एक दर्शनीय एवं प्रसिद्ध स्थल है जैसे सारनाथ, चुनार, जौनपुर, कौशांबी, कुशीनगर तथा विन्ध्यांचल।

शैक्षणिक संस्थान : उत्तर भारत में वाराणसी प्राचीन काल से ही कला, संगीत, संस्कृति एवं शिक्षा का केन्द्र रहा है। वाराणसी में आज भी तीन विश्वविद्यालय स्थित है–

(क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीमती एनीबिसेंट के सहयोग से पं. मदनमोहन मालवीय ने सन् 1916 में की थी और इसके लिए तत्कालीन काशी नरेश ने 1350 एकड़ (5.5 वर्ग किमी.) भूमि प्रदान की थी। इस विश्वविद्यालय में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा चिकित्सा विज्ञान संस्थान के साथ–साथ 128 स्वंतत्र शिक्षण विभाग है। यह विश्व के तीन सबसे विशाल आवासीय शिक्षण संस्थानों में से एक है।

(ख) संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय : सन् 1791 में गर्वनर जनरल लार्ड कार्नवालिस ने संस्कृत कालेज की स्थापना की थी, जो कि वाराणसी का पहला कालेज था। इसके पहले प्राचार्य संस्कृत के प्रोफेसर जेमेयर, आईसीएस थे। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात इसे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिस्थापित किया गया।

(ग) महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ : यह एक डीम्ड एवं चार्टर्ड विश्वविद्यालय है, जिसे गाँधी जी के नाम से जोड़ने के साथ गाँधीवादी सिद्धांतों के अनुपालन के साथ संचालित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज (सेंट्रल यूनीवर्सिटी ऑफ तिब्बतियन स्टडीज) सारनाथ में स्थित है, जो कि एक डीम्ड यूनीवर्सिटी है और परंपरागत तिब्बतियन अध्ययन को आधुनिक ढांचे में पिरोकर सिखाता है। इसके साथ ही शहर में अनेक डिग्री कॉलेज, तथा संस्कृत, ज्योतिषविज्ञान तथा धार्मिक शिक्षण की संस्थाएं है। यहां पर जामिया सलाफ़िया नामक एक सलाफी इस्लामिक संस्थान भी है।

उद्योग–धंधे : वाराणसी में अनेक लघु–उद्योग एवं कुटीर उद्योग हैं जिसमें वाराणसी रेशमी साड़ी निर्माण के साथ–साथ गलीचा उद्योग, हस्तशिल्प प्रमुख है। बनारसी पान एवं बनारसी खोया बहुत लोकप्रिय है। इनसे सबसे जुड़े अनेक कुटीर उद्योग चलते हैं, फलतः वाराणसी बाल श्रमिकों का गढ़ है। यहां की निर्मित रेशमी साड़ियां विश्व प्रसिद्ध है जिनकी सुन्दरता एवे सुकोमलता देखते ही बनती है। आज इन साड़ियों में तरह–तरह के डिजायन एवं जरी के काम मशहूर है। इन साड़ियों को तीज–त्यौहारों एवं विवाह तथा अन्य उत्सवों में पहना जाता है।

वाराणसी में रेलवे इंजन के निर्माण का एक डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का बहुत बड़ा कारखाना है जहां के निर्मित इंजन देश ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय है।

परिवहन : *रेल*–वाराणसी रेलमार्ग से भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से जुड़ा है। वैसे तो वाराणसी सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता से रेलमार्ग से जुड़ा था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। आजकल यह उत्तर रेलवे का प्रमुख जंक्शन एवं रेलवे स्टेशन है।

सड़कें :– यह शहर सम्राट अशोक एवं मौर्य कालीन शासकों के समय से सड़क मार्गों से जुड़ा था, जिसे 16 शताब्दी में शेहशाह सूरी के द्वारा पुनः ठीक कराया गया और शेहशाह सूरी मार्ग बना जिसे बाद में ग्रांड ट्रंक रोड ने नाम से जाना गया है। आज यह शहर राष्ट्रीय राजमार्ग–2 एवं राष्ट्रीय–7 से जुड़ा है। यह शहर दिल्ली–कलकत्ता के साथ–साथ जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बैंगलोर, मदुरै एवं कन्याकुमारी तक सड़क मार्ग से जुड़ा है।

वायुयान : वाराणसी वायुयान सेवा से भी जुड़ा है। दिल्ली–कलकत्ता मार्ग पर चलने वाली कई उड़ाने वाराणसी से होकर जाती हैं। इसके अलावा यह शहर चेन्नई, मुंबई, खजुराहो, बैंकाक, बैंगलोर, कोलंबो एवं काठमांडू से भी सीधी उड़ानों से जुड़ा है। स्थानीय हवाई अड्डा बावतपुर एयरपोर्ट के नाम से है जो शहर से 25 किमी. दूर स्थित है।

स्थानीय यातायात के साधन : शहर के अंतर्गत स्थानीय यातायात साधन के रूप में बसें, टैंपों, तिपहिया वाहनों के साथ–साथ साइकिल रिक्शे प्रचुरता से उपलब्ध है। गंगा नदी में भ्रमण हेतु स्थानीय छोटी नावें एवं स्टीमर सेवाएं उपलब्ध रहती हैं।

भारतीय परिवार व्यवस्था की दार्शनिकता

डॉ. अमर सिंह सचान
राजभाषा अधिकारी

भारतीय परिवार व्यवस्था की नींव परस्पर पूरकता के सिद्धांत पर डाली गई। एक–दूसरे के लिए जीने की परंपरा। कृषि–प्रधान देश में मिल–जुलकर रहना। कई हाथों का साथ रहना आवश्यक था। इसलिए तीन–चार पीढ़ियाँ साथ रहती आई हैं। परिवार ही वह पवित्र स्थल रहा जहाँ अपनी संस्कृति के बीज तत्वों को आने वाली पीढ़ी के अन्दर पुरानी पीढ़ी डालती रही है। अपने अनुभवों से आने वाली पीढ़ी को लाभान्वित कराना। इसलिए गाँव में सभी जातियों का रहना आवश्यक था। एक दूसरे पर निर्भर थे, इसलिए परस्पर सौहार्द भी बना रहा। धीरे–धीरे अपने परिवार और गाँव के प्रति गौरव भाव का भी जन्म हुआ। परिवार के प्रति प्रेम भाव ही बढ़कर राष्ट्र–प्रेम में परिवर्तित होता रहा है।

अभी तक भारत के गांवों में परस्पर भाई–चारा एवं आपसी प्रेम भाव देखा जा सकता है। वहां वंश एवं कुल परंपरा की बहुत महत्ता है। गांवों में जब गन्ने के खेत की बुवाई होती है तो पूरा गांव या पूरा खानदान एक साथ एकत्र होकर काम करता है। कुछ लोग गड़से काटते हैं, कुछ लोग एक साथ आगे–पीछे दो–तीन हल चलाते हैं यानि कूंड बनाते हैं जिसके पीछे 10–12 लोग गन्ने के गड़सों को बोते हैं। देखते–देखते पूरे दिन का काम दो–तीन घंटों में निपट जाता है। इसी तरह गांवों में शादी–व्याह एवं अन्य त्यौहार मिलकर मनाए जाते हैं फलतः काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। इसमें जहां आर्थिक बचत होती है, वहीं परस्पर भाई–चारा व सौहार्द बढ़ता है। लेकिन शहरीकरण एवं एकल परिवार के चलते शहरों में आज यह स्थिति नहीं है। औद्योगिकीकरण के कारण बड़े–छोटे शहरों को विकास हुआ है। गाँवों की पैतृक धरती छोड़–छोड़कर लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। वहाँ उनकी विशेष पहचान नहीं है। इसलिए शहरों में विभिन्न प्रकार के अपराध भी बढ़ रहे हैं। परिवार छोटे होते जा रहे हैं। पति–पत्नी और बच्चे। पत्नी भी नौकरियाँ कर रही है। इसलिए बच्चों के लिए पालना घरों की आवश्यकता बढ़ गई है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में वृद्ध और बच्चों का लालन–पालन–संरक्षण आसानी से होता था। अब समाज को वृद्धआश्रमों और पालना घरों को बनाने की आवश्यकता हो गई–

'अर्द्धतजहिं बुद्ध सर्वस जाता।' बुद्धिमान लोग सबकुछ चले जाने की संभावना देखकर आधा त्याग देते हैं। उक्ति के अनुसार हमें भी पहल करनी चाहिए। समय आगे बढ़ता है। यहाँ हमें पश्चिम से सीखने की आवश्यकता है। वे परिवार व्यवस्था की और लौट रहे हैं। वहाँ तलाक की संख्या में कमी लाने का प्रयास चल रहा है। वे हमारी परिवार व्यवस्था के तत्व जानना चाहते हैं। और हम? हम उनकी ओर मुखातिब हैं। उनके समाज से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। परंतु जहाँ तक परिवार व्यवस्था के जोड़े जाने का प्रश्न हैं, हमें अपने अन्दर ही झाँकना हैं। बहुत देर नहीं हुई है। आज भी दक्षिण भारत के कुछ गाँवों, गुजरात, दिल्ली तथा कोलकाता में कुछ परिवारों में पचास या सौ लोगों का खाना एक रसोई में ही बनता है।

उपनिषद की एक प्रार्थना में समाज के लिए भारतीय सनातनता आकांक्षा व्यक्त की गई है–

''कन्यादाता, जन्मदाता, अन्नदाता तथैवच
विद्यादाता, भयत्राता पंचैत पितरः समः''

अर्थात कन्या देने वाला जन्म देने वाला, अन्न उपजाने वाला, विद्या देने वालो तथा भय से रक्षा करने वाला पिता के समान होता है।

आज कल लोग शिक्षित हो रहे हैं, पर यह शिक्षा केवल डिग्री मात्र है जो नौकरियां पाने तक सीमित है। यह शिक्षा हमें जोड़ती नहीं बल्कि तोड़ रही है जबकि वास्तविक शिक्षा का सच्चा उद्देश्य तो यह है–

''विद्या ददाति विनयं, विनयाद्यात पात्रताम–
पात्रादेवा त्धभाल्नोति, धनाद धर्मः ततः सुखम्''

अर्थात् विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से पात्रता आती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है और धन से धर्म संपादित होता है और इससे सुख–संतोष की प्राप्ति होती है। यहां धर्म का तात्पर्य केवल पूजा–पाठ नहीं है, बल्कि अपने से अधिक दूसरे के हित का ध्यान रखना होता है। उपनिषदों में कहा गया है–

''अष्टादश पुराणेषु, व्यासस्य वचनं द्वयं
परोपकार : पुण्याय पापाय परपीडनम''

यानि अठारहों पुराणों एवं व्यास के दो वचन में सब धर्म एवं ज्ञान का सार यही है कि परोकार सबसे बड़ा पुण्य एवं परपीड़ा सबसे बड़ा पाप है। हमारा भारतीय समाज एवं परिवार सदा परोपकार को बढ़ावा देता है तथा सदैव लोगों के दीर्घ जीवन की कामना करता है।

''जीवेम शरदःशतं, पश्येम शरदः शतं, श्रृणुयाम शरदःशतं, भूयश्च शरदःशतात्, भवेम शरदः शतं, रोहेम शरदः शत, अदीनाः श्याम शरदः शतं, बुद्धेम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात्।''

''हम सब सौ साल तक जिएँ, सौ साल तक देखें, सौ साल तक सुनें, सौ वर्ष तक नया होते रहें, सौ वर्ष तक घुड़सवारी करते रहें, किसी के सामने दीन नहीं बनें, समझ सौ वर्ष कायम रहें और सौ वर्ष से आगे भी हमारी यही स्थिति रहे । युगों–युगों से हम यह कामना करते आ रहे हैं। कि हम सौ वर्षों तक सक्रिय रहें।

''परन्तु सच यह है कि हम क्या देखें, क्या सुनें, हमारे जीवन में नयापन कैसा हो, महत्व इसका है। हमारी पाँचों इंद्रियों के देखने, सुनने, सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने के विषय क्या हों, कि इन इंद्रियों के राजा मन का वर्तमान में होना आवश्यक है। मन यदि वर्तमान में नहीं हैं तो चारों और शोर से घिरे रहकर भी कुछ नहीं सुनाई देता, आँखों के सामने से परियाँ गुजर जाती हैं, पर हम उन्हें

देखते तक नहीं हैं। मन जो साथ नहीं। इसलिए *'मनः एवं मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः।'*

इसलिए इस मन को ही जीतने की आवश्यकता है। संत कबीर ने भी कहा है – **''मन के हारे हार है मन के जीते जीत''** यह मन ही शरीर को अनुभूति कराता है। इसलिए कभी–कभी रूग्ण शरीर की रूग्णता की अनुभूति नहीं देता, यदि मन स्वस्थ है। परिवार, समाज देश की स्थिति की अनुभूति मन ही देता है। इसलिए विद्वानों ने समय–समय पर विभिन्न प्रकार के मन के संयम की बात कही है। सारे संसार की वस्तुएँ प्राकृतिक या वैज्ञानिक तरीके से आविष्कृत सब हमारी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए हैं। सच में सतुष्टि तो तभी मिलती है जब हमारा परिवार, समाज और गांव संतुष्ट हो । आपस में प्रेम हो वैर भाव न हो।

आज इंन्द्रियों की संतुष्टि का मामला पारवारिक और सामाजिक नहीं रह गया बल्कि पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण में हमनें ''फ्रीडम'' को आँख मींचकर अपनाना शुरू कर दिया। वहां की इस तथाकथित ''फ्रीडम'' ने परिवार की इकाई को ही तोड़ डाला। लोगों ने विवाह जैसी पवित्र संस्था को भी नहीं छोड़ा। उनका विचार है कि एक ही व्यक्ति से शादी करके क्यों बंधे रहें। स्त्री और पुरूष दोनों ने इस फ्रीडम के नाम पर जब चाहा साथ छोड़ दिया और जब चाहा नया जीवन साथी पकड़ लिया। इस फ्रीडम की दौड़ का परिणाम यह हुआ

कि लोगों ने बच्चे तो पैदा किए पर उनकी जिम्मेदारी आधे अधूरे ढंग से निभाई गई। उनके पालन–पोषण के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं आगे आईं। जब यही संतानें बड़ी हुईं तो इन्हें अपने माता–पिता के प्रति कोई लगाव नहीं रहा। जिसका परिणाम यह हुआ कि वृद्ध होते अभिभावकों के सहारे के लिए बच्चों के कधें का सहारा नहीं मिलता, बल्कि उन्हें भी ''ओल्ड एज होम'' जैसे बसेरों में रहना पड़ता है।

यह कितने बिडंबना की बात है कि हमारे देश में समाज एवं परिवार की परिकल्पना में जितना महत्व बच्चों के लालन–पालन को दिया गया था, उससे भी कहीं अधिक घर–परिवर के बड़े–बुजुर्गों को सम्मान एवं सहारा देने की बात को दिया गया। यह सब तभी संभव हो पाता है जब परिवार की तीन पीढ़ियां यानि कि बाप, बेटा और पोता एक ही छत के नीचे रहें। इस आधुनिक एवं औद्योगिकीकरण के युग में भी यह संभव है। बशर्ते कि इसके लिए इच्छाशक्ति हो। यह इच्छाशक्ति सरकार और उसके योजनाकारों के साथ हर क्षेत्र के लोगों को दिखानी होगी। फिर चाहे वह शिक्षा व्यवस्था हो या टीवी चैनलों के धारावाहिक या फिर न्यूज चैनल।

यहां पर हम फिर एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आजकल आधुनिक शिक्षा के तथाकथित डिग्रीधारक खासकर के अंग्रेजीदाँ लोग हर विषय के विशेषज्ञ बन जाते हैं और जहां तहां मंचों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं फिर चाहे उनके तर्कों (या कुतर्कों) में कोई तथ्य हों या न हो। पुराणों में कहा गया है–

''शास्त्रा न धित्वाअपि भवन्ति मूर्खा,
यस्तु क्रियावान् पुरूषः सविद्धान्''

अर्थात शास्त्रों को पढ़कर भी लोग मूर्ख होते हैं, सच्चा विद्धान वही है जो क्रियावान है यानि कि ज्ञान को क्रिया के स्तर पर उतारता हैं।

आज अधिकतर पढ़े लिखे लोग हर भारतीय चीज को घृणा एवं पाश्चात्य चीज को आसक्ति के भाव से देखते एवं अपनाते हैं।

ऐसे लोगों के लिए कदाचित ये उदाहरण आँख खोलने वाले होंगे कि पश्चिमी जगत ने चमत्कार को नमस्कार किया और इसी कारण ईसा मसीह के स्पर्श से अंधों को आँखें और कोढ़ियों को काया मिलने के चमात्कार तथा सूली चढ़ने के बाद जीवित हो उठने के चमत्कार ने उन्हें ईश पुत्र बना दिया, यहां तक कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक बन गए और ऐसे चमत्कार करने वालों को सेंट (संत) की उपाधि मिली फिर चाहे सेंट जेवियर, सेंट थॉमस, सेंट कारनेल आदि क्यों न हो। जबकि मदर टेरेसा को भी संत घोषित करने के लिए चमत्कार की दरकार थी।

लेकिन यह भारतीय लोग भारत में होने वाले दैवीय चमत्कारों की खिल्लियाँ उड़ाते हैं, उन पर विश्वास करने वालों को अंधविश्वासी कहते हैं। पश्चिम में जहां चमत्कार करने वालों को संत कहा गया और वही भारत में ऐसे लोगों का जादूगर, ओझा, तांत्रिक, ढोंगी, पाखंडी की संज्ञा मिलती है। यहां तक ये विद्धान लोग और मीडिया रातों–रात नायक को खलनायक और राम को रावण बनाकर समाज की सूली में लटका देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम हर चीज ज्ञान व विवेक के चश्में से नहीं बल्कि पश्चिम के चश्में से देखते हैं।

यदि भारतवासी लगातार पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते रहे, तो निश्चय हमारी स्थिति इस कहावत को चरितार्थ करेगी– 'धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का' क्योंकि भारत में जिस गति से शहरों में बदलाव आ रहा है उस गति से देहातों, कस्बों में नहीं। परिणामस्वरूप न तो पश्चिमी संस्कृति मिल पाएगी और न भारतीय संस्कृति ही रह पाएगी। पश्चिम की संस्कृति केवल भोगवाद को बढ़ावा देती है, फिर चाहे वह देह का भोग हो या सामान के उपभोग का। जब कि भारतीय संस्कृति सुख एवं दुख को आपस में बांटकर भोगने को बढ़ावा देती है। केवल अपने या अपनी की भलाई नहीं, बल्कि परिवार एवं समाज की भलाई में सबकी भलाई निहित होने के भाव को बढ़ावा देती है। अपनी कमाई से आगे आने वाली संतति के लिए एक आधार देने एवं बचत करने का भाव रहता है ताकि विपत्ति

में सुरक्षा मिल सके। किसी समाज व देश के लिए यह अनमोल धरोहर होती है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए।

यह कितने खेद की बात है कि घर–परिवार के बड़े–बुजुर्गों को सम्मान एवं सहारा देने की बात भारतीय पारिवार परंपरा में सब कुछ समाहित है। हम उसे भूल रहे हैं। हम भूल गए कि हमारे शास्त्रों ने कहा है कि धरती से बड़ी ''माँ'' और आसमान से बड़ा ''पिता'' होता है। यानि कि हमारी माँ धरती जैसी है और जो घर की सबकी जरूरतों को पूरा करने का केन्द्र होती है और पिता (घर का स्वामी) आसमान की भांति व्यापक होता है जिससे पूरे परिवार को संरक्षण मिलता है। मौजूदा सभ्यता लालच और अपनी जरूरतों को लगातार बढ़ाते जाने पर आधारित है। परन्तु संयम और सादगी पर आधारित सभ्यता ही टिकाऊ तथा मानवीय हो सकती है।

हमने इंद्रियों की चाहत की रास यदि ढीली की तो वे एक क्या, कई जन्मों में भी तृप्त नहीं होंगी। इसलिए मन पर लगाम लगाना पड़ता है। त्याग कर भोगना, सीखना पड़ता है। **'तृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्णा।'** अर्थात् मानव की तृष्णा (चाहत या लोभ) कभी नहीं वृद्ध होती, हम जरूर वृद्ध हो जाते हैं। जीवन जीने के क्रम में जब हम इंद्रियों की लगाम ढीली कर देते हैं तो हमारी भी स्थिति महाभारत के नहुष–पुत्र ययाति जैसी होती है। परन्तु ययाति के जीवन में आए अनुभवों से हमारी सभी पीढ़ियों को लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने अपने पुत्र पुरु को उसका यौवन लौटाते हुए भोग की वीथियों से निकलकर जो संदेश दिए थे वे हमारे समाज–जीवन का संबल रहा है। हमें आने वाली पीढ़ी को भी सौंपना चाहिए–

'न जातु कामः कामानामुभोगने शाम्यति ।
हविषा कृष्ण वर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते।।'

इस श्लोक में भोगवादी ययाति के जीवन के अनुभव का निचोड़ है अर्थात् चाहतें या काम (इच्छा) भोगने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती ही रहती है जैसे कि हवन में आहूति डालने से आग भड़कती है। यह मन के संयम से ही शांत होती है। यदि हमने इस श्लोक के मर्म को समझ लिया, आत्मसात् किया तो हमारी तीन पीढियाँ सुधर जाएँगी। यह सनातनी, सराहनीय और ग्रहणीय विचार है। यही मानव जाति के कल्याण का आदि और अंत भी है।

बिगड़ते पर्यावरण के दुष्पपरिणाम

अशोक कुमार
प्रबंधक

दिनों दिन बिगड़ता दुनिया का पर्यावरण आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है; हालांकि इस बारे में जागरूकता के बावजूद समस्या की गंभीरता को समझने के पर्याप्त प्रयास नहीं हुए हैं। यह भी कहा जा सकता है कि इस समय के नीति निर्माता तमाम कारणों से अपने–आप को इतना समर्थ नहीं पाते हैं कि वे पर्यावरण की उलझती जा रही समस्या का दृढ़–संकल्प के साथ सामना कर सकें। ग्रीन हाउस गैसों के कारण विश्व का पर्यावरण तेजी से और खतरनाक ढंग से बिगड़ता जा रहा है। लेकिन पर्यावरण के बारे में हुए तमाम विश्व सम्मेलनों के बावजूद अमरीका सहित कुछ पश्चिमी देशों का रवैया अभी भी अड़ियल बना हुआ है और वे खतरे की गंभीरता को समझने से इंकार कर रहें हैं। जहां तक भारत का संबंध है, यहां के लोग अपने दैनंदिन जीवन में विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिस देश में नदियों को पवित्र और पूजनीय माना जाता है, वहां की सबसे पवित्र और पूजनीय समझी जाने वाली नादियां गंगा और यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं और उनका प्रदूषण रोकने के लिए बनाई गई तमाम योजनाएं सफल ढंग से कार्यान्वित नहीं हुई हैं। इसलिए इनका प्रदूषण घटने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां तक भारत के वनों का सवाल है, उनका क्षय भी तेजी से हो रहा है।

पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार पर्यावरण संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि पृथ्वी के 33 प्रतिशत हिस्से पर वन रहें, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस समय देश की सिर्फ 23 प्रतिशत भूमि ही वनाच्छादित है। भारत जलसंकट से भी लगातार जूझ रहा है। देश के अनेक हिस्सों में भूमिगत जल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। देश के अनेक हिस्से, जो पहले अधिक वर्षा जल वाले माने जाते थे, वहां भी जल संकट पैदा हो गया है। देश के कई इलाकों में लगभग स्थाई रूप से सूखा पड़ने लगा है। पेयजल की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी गंभीर हो गई है। महानगरों तक में पेयजल का संकट बढ़ता जा रहा है। जहां पानी के शुद्धिकरण की व्यवस्थाएं हैं उसने नगरों में भी जल निगम पेय जल की बढ़ती मांग को देखते हुए शुद्ध और परिष्कृत पेय जल के साथ में अपरिष्कृत जल भी मिला रहे हैं।

उधर शहरों में मोटर वाहनों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी होने के कारण वायु प्रदूषण की समस्या भी गंभीर रूप ले चुकी है। दिल्ली भारत का ऐसा महानगर हैं जहां सबसे ज्यादा मोटर वाहन हैं जिनकी संख्या इस समय साठ लाख बताई जाती है। दिल्ली में वाहनों की संख्या कोलकाता, चेन्नै और मुंबई के कुल वाहनों की संख्या से भी अधिक बताई जाती है। आर्थिक उदारीकरण की नीति के कारण इस बात के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं कि मोटर चालित वाहनों पर केन्द्र सरकार का कोई अंकुश लगाने का इरादा है जबकि विकसित देश इस ओर ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा कई तरह के प्रतिबंध

लगने के बावजूद औद्योगिक प्रदूषण की समस्या भी विकराल है। देश के अनेक हिस्सों में उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित रसायनों के कारण आसपास की जमीन प्रदूषित हो चुकी है। खतरनाक रसायन की मिलावट के कारण वहां का पेयजल पीने योग्य नहीं रह गया है और भूमि की उर्वरा शक्ति पर कुप्रभाव पड़ा है। इसके अलावा कारखानों से पैदा होने वाले प्रदूषण की समस्या देश के जल एवं जल स्रोतों को प्रदूषित कर रही है। मछली जल को शुद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लेकिन इनका दोहन सीमा से अधिक हो रहा है। अब यह बात भी सामने आई है; कि भारत के तटवर्ती इलाकों में मछली पकड़ने के लिए पश्चिमी देशों से बड़े–बड़े ट्रार लाये गये हैं जो एक साथ खतरनाक हद तक पानी से मछलियों को निकालने का काम कर रहे हैं।

ऐसा नहीं है कि भारत में पर्यावरण को होने वाले नुकसान के खिलाफ संघर्ष नहीं हुए हैं। उत्तरांचल मे करीब तीन दशक पहले 'चिपको आन्दोलन' चला था जिसके जरिए–विशेषकर महिलाओं ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का विरोध किया था। उत्तरांचल समेत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बड़े बांधों के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण और विस्थापन के विरुद्ध भी आंदोलन हुए हैं लेकिन उन्हें बहुत सीमित सफलताएं मिली हैं। राजनीतिक नेतृत्व पर्यावरण के सवाल को आर्थिक विकास के विरुद्ध बता रहा है और इस प्रकार भावी पीढ़ियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने से इंकार कर रहा है।

देश में पर्यावरण संबंधी सबसे बड़ी समस्याओं में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने की समस्या है। भारत में 1860 से ही भारतीय दंड संहिता में जल प्रदूषण को रोकने संबंधी प्रावधान झरनों तथा तालाबों को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखने के संबंध में हैं। इसके करीब एक शताब्दी बाद 1974 में पहली बार जल प्रदूषण (निरोध तथा नियंत्रण) कानून बना और इसमें जल की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के कानूनी उपाय किये गये। इसके अंतर्गत 1986 में केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है जिसे अन्य कामों के अलावा पेयजल का स्तर बनाये रखने की जिम्मेदारी दी गई है लेकिन इसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि विशुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में कोई क्रांतिकारी बदलाव आया है। आकंड़ों के अनुसार भले ही शहरी आबादी के 85 प्रतिशत हिस्से को पेयजल सुलभ है। शहरी आबादी के सबसे गरीब तबके को; जो कि सरकारी नजर में गैरकानूनी रूप से जमीन हथियाकर रह रहा है काफी हद तक शुद्ध पेयजल प्राप्त करने का हकदार नहीं माना जाता।

शहरों के निकट से बहने वाली नदियों के भारी प्रदूषण के कारण शुद्ध पेयजल मिलना शहरी आबादी के बाकी हिस्से के लिए भी एक समस्या है।

पिछले बीस वर्षों से गंगा का प्रदूषण समाप्त करने की व्यापक योजनाएं चल रही हैं जिन पर 1500 करोड़ रुपये से भी अधिक धन राशि खर्च हो चुकी है। इसके बावजूद एक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश 9–12 प्रतिशत लोग गंगा के प्रदूषित पानी को पीने के कारण रोगों के शिकार होते हैं। यमुना की सफाई का अभियान भी कामयाबी तक नहीं पहुंचा है। यहां तक कि देश की राजधानी में भी यमुना की स्थिति शोचनीय बनी हुई है और अभी भी नालों का गंदा पानी यमुना में बहकर जा रहा है। 1994 में देश के 22 औद्योगिक इलाकों के भूजल का सर्वेक्षण किया गया था और पाया गया था कि इन सभी क्षेत्रों में पीने का पानी इस योग्य नहीं रह गया है कि उस पीकर लोग स्वस्थ रह सकें। इस पानी में बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया और खनिज–धातुओं का प्रदूषण पाया गया। एक सर्वेक्षण बताता है कि स्कूल जाने की उम्र से पहले (1–5 वर्ष) के करीब 15 लाख बच्चे प्रदूषित पानी पीने के कारण हर साल डायरिया के शिकार हो रहे हैं। यह भी बताया जाता है कि देश के शहरी क्षेत्रों में होने वाली 7 प्रतिशत मौतें हैजा और दस्त की बीमारियों से होती है जिनका संबंध पेयजल के प्रदूषण से भी जोड़ा जाता है। पर्यावरण संरक्षण कानून बनने के बावजूद पेयजल की स्थिति में सुधार संभव नहीं दिखता; बल्कि अनुमान है कि सन् 2025 तक स्थितियां इतनी बिगड़ जाएंगी कि प्रतिव्यक्ति पानी की खपत घटकर बेहद कम हो जाएंगी। आज केरल तथा मेघालय जैसे अधिक वर्षा होने वाले इलाके भी पानी की कमी से पीड़ित हो रहे हैं। जहां तक वनों का सवाल है, उनका क्षेत्र भी लगातार सिकुड़ता जा रहा है और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनने के बावजूद इस स्थिति में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया है। हालांकि; इस अधिनियम को पर्यावण के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। पहली बार एक ऐसा कानून बना जिसके अंतर्गत वनभूमि को गैर वन भूमि में परिवर्तित करने पर रोक लगाई गई है। 1951 से 1980 तक के आंकड़े बताते हैं कि इस कानून के बनने से पहले प्रतिवर्ष 5000 वर्ग कि.मी. वन भूमि को गैर वनभूमि में परिवर्तित किया जा रहा था। देश के वन क्षेत्र अभी भी जलाऊ और इमारती लकड़ी की जरूरत को बड़ी हद तक पूरा करते हैं और जलाऊ लकड़ी तथा उपलों का इस्तेमाल करना देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की मजबूरी है; क्योंकि वह खाना बनाने की गैस का इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं हैं। एक अनुमान के अनुसार सन् 2010 तक जलाऊ लकड़ी और कोयले की मांग 3 करोड़ 30 लाख घन मीटर हो जाएगी। जिस पैमाने पर वन विनाश हो रहा है उस पैमाने पर नये सिरे से वन लगाने का काम नहीं हो पाया है। वैसे भी पुराने वनों के विनाश के कारण वनस्पतियों की विविधता नष्ट हो रही है। यहां तक कि वन विनाश के कारण पक्षियों की हजारों प्रजातियां को भी खतरा है। देश में वन विनाश की हालत यह है कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू–कश्मीर में वन क्षेत्र बहुत अधिक सिकुड़ चुका है। केवल देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में कहा जा सकता है कि वहां अभी भी पर्याप्त वन क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त है। लेकिन सरकार के दूसरे लक्ष्य जिस तरह आगे खिसकते जा रहे हैं, उससे विश्वास नहीं होता कि इस देश भर में लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा।

एक बड़ी समस्या वायु–प्रदूषण की भी है जिसके थमने के आसार

नहीं दिख रहे हैं। सरकार ने कार निर्माताओं के लिए नये मानदंड स्थापित किये हैं और दिल्ली में सीएनजी के व्यापक इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया गया है लेकिन इसके बावजूद मोटर वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय धीरे–धीरे अर्थहीन होते जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार इस समय देश की एक हजार आबादी में 40 से अधिक लोगों के पास मोटर वाहन है। यह अनुपात निकट भविष्य में और भी बढ़ेगा क्योकि मोटरवाहनों के क्षेत्र में प्रतियोगिता बढने से इनकी कीमतें घटती जा रही है और ऋणों की सुलभ उपलब्धता के कारण इन्हें खरीदना आसान हो गया है। इसके अलावा मोटर वाहन रखना अब विलासिता नहीं माना जाता; बल्कि जरूरत माना जाता है। मोटर वाहन रखना सामाजिक हैसियत से भी जुड़ गया है। स्थिति यह है कि जितने भी वाहन हर साल बढ़ रहे हैं, उनमें से 85 प्रतिशत वाहन निजी उपयोग में लाये जा रहे हैं। इनमें भी दो पहिया वाहनों तथा कार का प्रतिशत 70 है। वाहनों के अलावा वायु प्रदूषण को बढ़ाने में कारखानों तथा ताप विद्युत घरों का योगदान भी काफी है। भारत की आजादी के

समय देश में जितनी ताप विद्युत पैदा होती थी वह अब बढ़कर 100 गुना हो चुकी थी। शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियों की शिकायत आम है। कैंसर और हृदय रोग के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है जिसका संबंध एक हद तक वायु प्रदूषण से जोड़ा जाता है।

देश में जो कृषि योग्य भूमि है वह भी बड़े पैमाने पर प्रदूषण का शिकार हुई है। पंजाब में 60 के दशक में हरित क्रांति की सफलता के बाद देशभर में रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है। आंकड़े बताते हैं कि प्रतिवर्ष 9.5 प्रतिशत की गति से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आज भारत उन चार बड़े देशों मे माना जाता है जो बड़े पैमाने पर रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी प्रकार भारत में कीटनाशकों का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। जहां भारत में 1971 में करीब 24 हजार टन कीटनाशकों का इस्तेमाल होता था, वहां 1991 में यह बढ़कर 82 हजार टन हो चुका था। उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल और सिंचाई की सुविधाएं बढ़ने की वजह से पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में भी जहां पहले चावल नहीं बोया जाता था, वहां भी चावल बोया जाने लगा है। इसी तरह की अन्य फसलें भी उगाई जाने लगी है, जिनमें कि पानी का इस्तेमाल अधिक होता है। इसके कारण बड़े पैमाने पर रसायन रिस कर जमीन के अंदर जा रहे है। और भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है। इसके अलावा रासायनिक खादों और कीटनाशकों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के बावजूद प्रति–हेक्टेयर कृषि उत्पादन घट रहा है और जमीन की उर्वरा शक्ति पर लगातार कुप्रभाव पड़ रहा है।

प्रदूषण का एक कारण ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ना भी है। आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष 10% की दर विद्युत का उपयोग बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि खेती तथा घरेलू इस्तेमाल में बिजली का उपभोग लगातार बढ़ रहा है। उपभोग के नये–नये साधन आने से घरों में बिजली की जरूरतें बढ़ती जा रही है। इसके अलावा खेती में भी किसानों में जागरूकता बढ़ने के कारण बिजली का इस्तेमाल काफी बढ़ा है। जहां बिजली पर्याप्त नहीं है वहां लोग बड़े पैमाने पर डीजल के जनरेटर सेटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त गाँवो में अभी भी जलाऊ लकड़ी और उपलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। इन सब कारणों से वातावरण में कार्बन डाइओक्साइड, मीथेन और क्लोरोकार्बन जैसे प्रदूषक तत्व लगातार बढ़ रहे हैं। 1950 के बाद से भारत में 5.9 प्रतिशत की दर से कार्बन डाइआक्साईड वातावरण में बढ़ी है। इन सब कारणों से 'ग्लोबल वार्मिंग' का खतरा बढ़ता जा रहा है हालांकि इस खतरे को बढ़ाने में पश्चिमी देशों का योगदान विशेष रूप से हैं जो भारत की तुलना में कई–कई गुना अधिक प्रदूषणकारी गैस उत्पादित कर रहे हैं और उन पर रोक लगाने के अंतर्राष्ट्रीय करारों को मानने से भी इंकार कर रहे हैं।

बहरहाल भारत की पर्यावरणीय समस्या को सिर्फ पर्यावरण की समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता। इस समस्या के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयाम है। इसलिए इस समस्या को एकांगी रूप से देखा जाएगा तब तक इसका हाल संभव नहीं हो सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तक इस कानून में तीस संशोधन किये जा चुके हैं जो इस बेहतर बनाने की बजाय, खराब बनाने की दिशा में अधिक सहायक हुए हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण हमारे ग्लेशियरों को भी खतरा पैदा हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के चार ग्लेशियर खतरे में हैं और अगर 'ग्लोबल वार्मिंग' के खतरे से जुझने के निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बिरदरी ने मिल जुलकर प्रयास नहीं किये तो हमारे ये ग्लेशियर 2040 तक खत्म हो जाएंगे। यही स्थिति गंगोत्री तथा छोटा शिंदरी के ग्लेशियरों की भी है। जाहिर है कि पर्यावरण का पहुंच रहे खतरे से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी प्रयास करने की जरूरत है वरना हमारा देश भी ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा, जहां पर्यावरण विनाश को रोक सकना संभव नहीं होगा।

भारत में भाषा प्रौद्योगिकी-भूत, वर्तमान और भविष्य
(भाग-2)

संजीव कुमार सिंह
सहायक–प्रबंधक

इलैक्ट्रानिक विभाग ने भारती भाषाओं के लिए विकास प्रोग्राम TDIL द्वारा पहल की है लेकिन इसके समांतर अन्य निजी संगठनों ने भी हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए साफ्टवेयर पैकेज और टूल्स तैयार करने में योगदान दिया है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से कुछ निम्नानुसार हैं :

राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केन्द्र (C-DAC) पुणे की सहायता से विकासात्मक प्राजेक्ट आरंभ किए हैं। कम्प्यूटर समर्थित पढ़ाई और प्रशिक्षण के क्षेत्र में C-DAC पुणे ने DOS और UNIX में एक साफ्टवेयर प्रबोध और प्रवीण परीक्षाओ के प्रयोजन के लिए पढ़ाई/शिक्षण के लिए विकसित किया जा रहा है जो सरकारी पत्राचार के विशिष्ट क्षेत्र में अंग्रेजी से हिन्दी कम्प्यूटर समर्थित अनुवाद के लिए है।

GIST के C-DAC अतिरिक्त, ने विन्डोज़ पर भारतीय भाषा, वर्ड–प्रोसिसिंग के लिए 'लीप' नामक साफ़्टवेयर तैयार किया गया है। C-DAC ने भारतीय भाषाओं के लिए फोन्ट्स की विभिन्न किस्में विकसित की हैं जिन्हें ISFOC फोन्ट्स कहते हैं और बहुत से डेस्कटाप पब्लिकेशन्स अनुप्रयोगों के लिए इनका आजकल प्रयोग किया जा रहा है। GIST आधारित साफ़्टवेयर भी डबिंग और विभिन्न भारतीय भाषाओं में सब–टाइटलिंग टीवी प्रोग्रामों के प्रसारण के लिए उपलब्ध है।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बहुत से संगठन विभिन्न भाषा साफ़्टवेयर के विकास और विपणन में लगे हुए हैं। उनमें से कुछ हैं–

वित्तीय लेखा करण पैकेज FACT हिन्दी में भी वेदिका साफ्टवेयर प्रा. लि. नई दिल्ली में उपलब्ध है।

बहुत से साफ़्टवेयर विकास–कर्त्ताओं से वर्ड प्रोसेसिंग और डेस्कटाप पब्लिशिंग के लिए कई पैकेज उपलब्ध हैं और बहुत से संगठन इसका प्रयोग कर रहे हैं।

कुछ उद्योग भारत में बैंकों के लिए बैंकिंग साफ़्टवेयर अनुप्रयोगों के स्थानीकरण पर फिलहाल काम कर रहे हैं।

NCST और C-DAC दोनों पर्सनल कंप्यूटरों पर भारतीय भाषा सर्पोट के क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रहे हैं और उन्होंने लिप्यन्त्रण के लिए साफ़्टवेयर पैकेज विकसित किए हैं। इन पैकेजों का भारतीय रेलवे (आरक्षण चार्टों के प्रदान के लिए) महानगर टेलीफोन निगम (द्विभाषी टेलीफोन डाइरेक्टरी के मुद्रण के लिए) द्वारा व्यापक प्रयोग किया जा रहा है । कई प्रसिद्ध भारतीय विश्वविद्यालय द्विभाषी विश्विविद्यालय डिग्रियां के मुद्रण के लिए साफ़्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं। कई भारतीय राज्यों ने इन अनुप्रयोगों का प्रयोग करते हुए जिला स्तर के भूमि रिकार्ड भारतीय भाषाओं में तैयार किए हैं। इन पैकेजों का प्रयोग करते हुए राज्य कार्यालय संबंधित कार्य भी भारतीय भाषाओं मे कर रहे हैं। भारतीय भाषाओं में नागरिक पहचान कार्ड तैयार करने के लिए भी समग्र समाधान उत्पन्न किए गए हैं।

आई आई टी चंडीगढ़ ने एक बहुभाषी इन्टर्फेस सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसका प्रयोग भारतीय भाषाओं और कुछ विश्व भाषाओं में प्रलेख तैयार करने, अवलोकन करने और मुद्रित करने के लिए किया जा सकता है। निम्नलिखित वेबसाइट से यह सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जा सकता है : http://musc.edu/~krishnan

विभिन्न भाषाओं में टेक्स्ट स्ट्रिंग प्रहस्तन के लिए यह सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग प्रोसेसिंग इन्टर्फेस (APIs) का एक सेट है। प्रत्येक API में C कालबेल रूटीन्स का एक सेट होता है।

हिन्दी तेलगू और अंग्रजी प्रलेखों के अनुवाद के लिए राजभाषा प्रत्राचार के क्षेत्र के लिए मशीन–ससहाय अनुवादक वीएम बिरला साईंस सेंटर हैंदराबाद में उपलब्ध है।

आई टी इंडिया काम्डेक्स 97 के दौरान MAIT और NASSCOM ने भारतीय भाषा प्रोग्राम की घोषणा की थी जिसके अन्तर्गत कुछ फोन्ट्स को सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराया है ताकि इन फोन्ट्स का प्रयोग करके कम्प्यूटरों पर हिन्दी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया जाए। निम्नलिखित वेबसाईट से इन फोन्ट्स को डाउनलोड किया जा सकता है।

http://www.mait.com

जनवरी 1998 में, TDIL वार्षिक बैठक के दौरान डी.ओ.ई. की पहल पर, C-DAC ने घोषणा की है कि DOS के अन्तर्गत ALP पर्सनल वर्ड प्रोसेसर, विन्डोज़ 95 के अन्तर्गत LEAP-Lite वर्ड प्रोसेसर और C-DAC द्वारा प्रत्येक भारतीय भाषा में प्रसिद्ध फोन्ट कम्प्यूटरों पर भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गैर–वाणिज्यिक प्रयोग के लिए अब इन्टरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध होंगे। अब ये निम्नलिखित वेबसाईट से डाउनलोड किए जा सकते है : **http://www.cdac.org.in**

विकसित क्षमताएं

भारतीय भाषाओं में आईटी के प्रयोग बढ़ावा देने के लिए विकसित विभिन्न प्रोग्रामों ने व्यापक क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं में सालूशन प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट जन–शक्ति उत्पन्न करने में सहायता की है। इन प्राग्रामों के भाग के रूप में कुछ विदेशी भाषाओं के क्षेत्र में भी पर्सनल कम्प्यूटरों पर उन भाषाओं के समर्थन मे सालूशन उपलब्ध कराए गए हैं।

इनमें उदाहरणार्थ, थाई, तिबितियन, इंडोनेशयिन, फारसी–अरबी, रूसी, सिहांलीसेस शामिल हैं। इस प्रकार कम्प्यूटरों पर विभिन्न भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने निम्नलिखित क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध है।

1. विभिन्न पीसी अनुप्रयोगों के लिए साफ़्टवेयर प्राडक्ट जैसे वर्ड–प्रोसेसिंग पब्लिशगिं, स्प्रैडशीट, स्पेस चैकिंग, स्क्रिप्ट प्रोसेसिंग आदि।

2. मशीन–ससहाय अनुवाद अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बीच

3. क्षेत्रीय भाषाओं में डबिंग और सब–टाइटलिंग के साथ टीवी प्रोग्रामों का प्रसारण।

4. टेक्स्ट से स्पीच परिवर्तन के लिए स्पीच सिन्थेसिस सिस्टम और क्षेत्रीय भाषाओं में स्पीच से टेक्स्ट के लिए स्पीच अभिज्ञान सिस्टम

5. अनुप्रयोग के उपयुक्त क्षेत्रों मे जनशक्ति विकास के लिए प्रशिक्षण और परामर्शी सेवाएं प्रस्तुत करना।

मानक

इलैक्ट्रानिक्स विभाग, व्यावसायिक संस्थानों और उद्योग के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से भारतीय भाषाओं में सूचना टेक्नालेजी अनुप्रयोगों के विकास से सब भारतीय भाषाओं के लिए 'इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफारमेशन इन्टरचेंज (ISCII))' कोड मानकीकरण हुआ और प्रत्येक भाषा के लिए की–बोर्ड अभिन्यास भी निर्धारित किए गए। भारतीय मानक ब्यूरो ने IS 13194 के रूप में इसे अपनाया। उभरते अनुप्रयोगों जैसे इन्टरनेट टूल्स, नेट वर्क केन्द्रिक सूचना अनुप्रयोग, स्पीच प्रोसेसिंग आदि के संदर्भ में वर्तमान मानक के अनुरूप इस कोड के केवल।। पर विचार किया जा रहा है।

भावी परिदृश्य

कम्प्यूटर साइंस में वर्तमान प्रगति के साथ, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) ने समाज की भूमि में अपनी अनुप्रयोज्यता बो दी है। जनोपयोगी सेवाओं के लिए कम्प्यूटर सिस्टम के अधिक से अधिक वास्तविक जीवन अनुप्रयोगों के होते हुए स्थानीय भाषा अनुप्रयोग की ज़रूरत घातांकी बढ़ रही है। साफ़्टवेयर और क्षेत्रीय भाषा इन्टर्फेस के स्थानीकरण की भारी मांग है। इस पृष्ठभूमि के होते हुए, इस सीमांत टेक्नॉलोजी के भावी अनुप्रयोग सरकारी उचित सहायता के साथ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं विद्वत्परिषदों और अनुसन्धान संगठनों से बड़े आर एंड डी प्रयासों पर निर्भर रहेंगे। भावी प्रणोद क्षेत्रों और अनुप्रयोगों का सारांश नीचे दिया जाता है:–

मानकीकरण

आजकल भारतीय बाजार में भारतीय भाषाओं में विभिन्न उत्पादों और अनुप्रयोग सिस्टमों की भरमार है। इन सिस्टमों और प्रोडक्ट को मानकीकृत करने की जरूरत है ताकि सुग्राह्यता और संगतता प्राप्त की जा सके। इन प्रयासों की सहक्रिया के लिए निम्न क्षेत्रों में मानकीकरण ज़रूरी माना जाता है

1. विभिन्न भारतीय भाषाओं में आईटी शब्दावली का मानकीकरण: आईटी में विभिन्न शब्द–संगहों के लिए परिभाषिक शब्दावली तैयार करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों (भाषाविदों और आईटी) की सर्वसम्मत राय इसके लिए अपेक्षित है।

2. नामों और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए लिप्यन्त्रण नियमों का मानकीकरण : डेटा प्रोसेसिंग और डेटाबेस निर्माण के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। इससे केवल एक भाषा में डेटा बेस का निर्माण होता है (जैसे अंग्रेजी) लेकिन रिपोर्ट जनन और अनुप्रयोग मूल्यांकन विभिन्न भाषाओं में होता है जैसे हिज्जे, मूर्थी, मूर्ति का लिष्यन्त्रण सब भारतीय भाषाओं में केवल एक शब्द में होना चाहिए।

3. कल्चरण क्लिप आर्टस का मानकीकरण : जब सांस्कृतिक प्रतीकों आदि के निरूपण के लिए हार्ड वेयर ग्राफ़िक्स, एमएस आफ़िस का प्रयोग करते हुए बहुभाषी प्रलेख तैयार किया जाते है तो यह जरूरी होता है। जैसे 'ओम', 'स्वास्तिक', 'नमस्ते', 'काश', 'मंदिर' आदि विभिन्न सांस्कृतिक कलाओं के निरूपण के लिए मानक आकृतियों और रंगों के प्रतीक।

इन्टरनेट आधारित अनुप्रयोग

इन्टरनेट उपभोक्ताओं की संख्या हर रोज़ बढ़ रही है। यात्रा, शिक्षा, मनोरंजन, होटल, घोषणाओं, समाचार बुलेटिनों आदि के बारे में लगभग सब सूचना अब इन्टरनेट पर उपलब्ध है। इन्टरनेट पर भारतीय भाषाओं के समर्थन के लिए टूल्स और अनुप्रयोग विकसित करने की भारी मांग है जिसमें शामिल हैं–

इन्टरनेट ब्राउसर्स और सम्पादकों के लिए HTML का विकास ताकि उन्हें भारतीय फोन्टस के अनुरूप बनाया जाए।

बहुभाषी ई–मेल सर्वरों का विकास जिससे विभिन्न भारतीय भाषाओं में ई–मेल भेजने और प्राप्त करने की सुविधा होगी।

विभिन्न समाचार समूहों की पहचान और विभिन्न उपयोक्ता समूहों के लिए बुलेटिन बोर्डों का निर्माण

विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए कन्टेन्ट निर्माण और वेब–पेज निर्माण जैसे पर्यटन, उद्योग, चिकित्सा आदि। आशा की जाती है कि संबधित सरकारी विभाग इसके लिए पहल करेंगे।

मशीन–ससहाय अनुवाद सिस्टम्स

हमारे जैसे बड़े बहुभाषी समाज में एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के लिए बड़ी मांग है। अधिकांश राज्य सरकारें संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में काम करती है जबकि संघ सरकार के सरकारी प्रलेख और रिर्पोटें द्विभाषी (हिन्दी/अंग्रेजी) रूप में होती हैं। उपयुक्त संप्रेषण बनाने के लिए इन रिर्पोटों और प्रलेखों के संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद की ज़रूरत होती है। यान–अनुवादकों की सीमाओं के कारण ऐसी अधिकांश सूचना (रिर्पोट/प्रलेख) खो जाती है और नीचे नहीं आती। मशीन–ससहाय अनुवाद सिस्टम या अनुवाद कार्यस्टेशन से मानव अनुवादको भी दक्षता बढ़ेगी। एक एमटी सिस्टम को कार्यरूप देने के लिए क्षेत्र विशष्ट अनुवाद सिस्टमों के विकास की निम्नानुसार पहचान की जा सकती है यथा:

- सरकारी प्राशसकीय पद्धतियां और फ़ार्मेट
- संसदीय प्रश्न और उत्तर
- सूचना
- विधि शब्दावली और महत्वपूर्ण निर्णय आदि

मानव–मशीन इन्टर्फेस सिस्टम्स

इन्टरनेट और डेटाबेस अनुप्रयोगों के लिए बहुत से कन्टेन्ट उत्पन्न करने के लिए, मुद्रित प्रलेखों से टेक्स्ट की भारी मात्रा का की–इन

किया जाना जरूरी है। ऐसी परिस्थितियों में मानव–मशीन इन्टर्फेस सिस्टम (HUMIS) बहुत सहायक होगा। खोजे जाने वाले विशष्टि क्षेत्र और विस्तारीय सिस्टम्स जिन्हें विकसित किया जाता है, निम्नानुसार हैं– भारतीय भाषाओं की विभिन्न लिपियों के लिए विभिन्न फोन्ट्स के लिए हय कैरिक्टर पहचान सिस्टम। भारतीय भाषाओं के लिए स्पीच सिन्थेसिस सिस्टमः सार्वजनिक घोषणा सिस्टम, प्रसारण स्टेशनों आदि के लिए यह बहुत लाभकारी होते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए हिन्दी शब्दों के लिए पहले से विकसित डेटा बेस (ध्वनिक और ध्वन्यात्मक रूपों) और डिज़ाइन सह–उच्चारण नियमों, छन्द शास्त्रीय नियमों और विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए ध्वनिग्राम के सिन्थेसिस के लिए ज्ञान आधार को मानकीकृत किए जाने की ज़रूरत है। यह नोट किया जाए कि सब भारतीय भाषाओं में ध्वनिग्राम 'म' समान है। तथापि इसकी अवधि, अंकन और पिच जैसे इसके ध्वनिक–ध्वनिक रूपों में संदर्भ (पहल ध्वनिग्राम शब्द और भाषा) के साथ विभिन्नता होती है।

भारतीय भाषाओं के लिए स्पीच पहचान सिस्टम

बहु–मीडिया – बहुभाषा–आधरित सिस्टम

बहुमीडिया उभरती टेक्नालाजी में से एक है जो बड़ी हद तक शिक्षा और मनोरंजन क्षेत्र पर विशेष प्रभाव डाल रही है। लोगों को प्रेरित करने के लिए कि वे विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखें और उनकी सहायता करने के लिए कि वे स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में समप्रेषण करें, यह सिस्टम बहुत सहायक होंगे। कुछ सिस्टम जिन्हें 2–3 वर्षों की अल्पविधि में विकसित किया जा सकता है नीचे दिए गए हैं–

पर्यटकों के लिए छोटे वाक्य/वाक्यांशों के अनुवाद और शब्दावली के लिए इलैक्ट्रानिक गैजिट भाषा पढ़ाई सिस्टम

निष्कर्ष

बहुभाषी देश होते हुए भारत ने बहुभाषी कम्प्यूटिंग की संभावना की पहचान की है और दक्षता निर्मित करने के लिए कुछ प्रोग्राम एक दशक से भी पहले आरंभ किए गए थे। तब से सरकारी सार्वजनिक और निजी संगठनों पर धीरे–धीरे काई अनुसन्धान विकास और अनुप्रयोगोन्मुख के बारे में जागरूकता उत्पन्न हुई हैं। तत्कालीन टेक्स्ट के कार्पोरा निर्माण के लिए आरंभिक कार्य से संभावित अनुप्रयोगों जैसे विश्लेषकों, स्पेल चैकरों आदि जैसे संभावित अनुप्रयोगों के विकास को हाथ में लिया गया है। निकट भविष्य में ध्यान के लिए पहचाने गए कुछ प्रणोद क्षेत्र हैं– परिभाषिक और परिष्कारक, मानक, आपरेटिंग सिस्टम, मानव–मशीन, इंटर्फेस, इन्टरनेट टूल्स और प्रयोग प्रौद्योगिकीयों, मशीन–ससहाय अनुवाद और स्पीच संबंधित प्रयासों का विकास। क्षेत्रीय भाषाओं में शब्दावली का मानकीकरण भी पर्याप्त ध्यान प्राप्त कर रहा है। आगे पेश आने वाली चुनौतियों में बहुत से विकासधीन क्षेत्रों में सहयोजित प्रयासों की जरूरत है जैसे वेब्श आधारित सूचना का स्वचल अनुवाद, सर्च इंजनों, बहु मीडिया कन्टेन्ट उत्पत्ति और मानव–मशीन इन्टर्फेस की परिष्कृति। इस बात को स्वीकार करते हैं कि विशेषतः देश में आईटी के अधिक गहरे और व्यापक बेधन के उददेश्य को पूरा करने के लिए इन प्रयासों को त्वरित करने की जरूरत है।

''करें योग रहें निरोग''

वी. के. कपूर,
वरिष्ठ नागरिक

''योगश्चित वृत्ति निरोधः'' योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। ''चित्त'' मन को कहते हैं। मनुष्य के मन में शब्द, रूप, रस, गंध तथा स्पर्श विषयों से संबंधित विचार रूपी तरंगें निरंतर उठती रहती हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, द्वेष, भय अथवा निंदा आदि से युक्त एक भाव दशा–सी बनी रहती है। विचार रूपी इन तरंगों तथा रागादि से युक्त इन भाव दशाओं को ही वृत्ति कहते हैं, जब मन में शब्दादि विषयात्मक तरंगे तथा रागादि से युक्त ये भाव दशाएं नियंत्रित हो जाती हैं अर्थात् संचयित जाती हैं, उस अवस्था का नाम 'योग' है, अथवा समाधि है।

वास्तव में योग क्या है

योग मनुष्य के लिए केवल व्यायाम ही नहीं, अपितु जीवन जीने की अद्भुत एक कला है, एक जीवन की पद्धति है। कर्म इन्द्रियों, ज्ञान इन्द्रियों को योग नियमों के अनुकूल नियंत्रित कर मन को अंतर्मुखी करना, चित्त की वृत्तियों को शांत करना तथा इसमें दुःख और सुख के संस्कारों को समाप्त करना चिंतन की स्थिति बनाना, जिससे प्रभावशाली विवेक का उदय हो, अपने स्वरूप में स्थित होना, आत्म अनुभूति करना, अपने को दूसरों में और दूसरों को अपने में देखना अर्थात् पारस्परिक सामंजस्य कायम करना तथा दूसरों के दुःख के निदान तथा सुख में प्रसन्न होना, भिन्नता में अभिन्नता का अनुभव करना तथा महसूस करना कि वास्तविक रूप से मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं अपितु प्राणीमात्र में कार्य कर रही उस महान शक्ति का अंश हूं जो जल में, थल में, वायु में प्रत्येक प्राणी का संरक्षण एवं संवर्धन करता है। इस गहराई तक पहुंचना ही योग है।

सांसारिक वस्तुओं से मोह त्याग कर अंदर से संयोग करना ही योग है, कर्म करते हुए जो आपको फल प्राप्त हुआ है या होगा, उसको अपने पास न रखकर समाज में बांट देने की कुशलता प्राप्त करना ही योग कहलाता है। योग विश्व के कल्याण के लिए है। इस महान

वट–वृक्ष की छाया का आनंद समस्त मनुष्य ले सकते हैं, फिर चाहे व किसी भी देश, जाति अथवा धर्म से संबंधित हों।

योग का स्वरूप–

योग शब्द वेदों, उपनिषदों, गीता एवं पुराणों आदि में अत्यंत पुरातन काल से व्यावहारिक रूप से प्रयोग किया जाता रहा है। भारतीय दर्शन व शास्त्रों में योग का व्यापक वर्णन हुआ है। योग दर्शन के उपदेष्टा महर्षि पतंजलि योग शब्द का अर्थ वृत्ति निरोध करते हैं। प्रमाण, विपर्याय, विकल्प, निद्रा एवं स्मृति – ये पंचविध वृत्तियां जब अभ्यास एवं वैराग्यादि साधनों से मन में लय को प्राप्त हो जाती हैं और मात्र द्रष्टा (आत्मा) के स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, तब योग होता है।

योग के प्रकार –

1. मंत्र योग
2. लय योग
3. हठ योग
4. राज योग

योग का अर्थ है – अपनी चेतना (अस्तित्व) का बोध। अपने अंदर निहित शक्तियों को विकसित करके परम् चैतन्य आत्मा का साक्षात्कार एवं पूर्ण आनंद की प्राप्ति, इस यौगिक प्रक्रिया में विविध प्रकार की क्रियाओं का विधान हैं।

स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या –

युक्ताहार विहारस्य युकत चेष्टस्य कर्मसु। युक्त स्वपनाव बोधस्य योगो भवति दुःखहा ।।

जिसके आहार, विहार, विचार एवं व्यवहार संतुलित व संयमित है, जिसके कार्यों में दिव्यता, मन में सदा पवित्रता व शुभ के प्रति अभीप्सा है, जिनका शयन एवं जागरण अर्थपूर्ण है, वही सच्चा योगी है। इन तीनों स्तम्भों एवं अन्य नियमों के विषय में संक्षिप्त रूप से विचार करते हैं–

आहार – आहार से व्यक्ति के शरीर का निर्माण होता है। आहार का शरीर पर ही नहीं, मन पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है।

निद्रा – निद्रा अपने आप में एक अनिवार्य एवं पूर्ण सुखद अनुभुति है। यह शरीर की ऊर्जा को संरक्षित करने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया हैं। जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। निद्रा देखने में तो कुछ नहीं लगती परन्तु जिनको नींद नहीं प्राप्त होती वे ही जानते हैं कि इसका क्या महत्व है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए छः घंटे की नींद पर्याप्त है। बालक एवं वृद्ध व्यक्ति के लिए 8 घंटे सोना उचित है। सायंकाल शीघ्र सोना व प्रातः काल शीघ्र उठना व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाता है।

ब्रह्मचर्य – अपनी इंद्रियों एवं मन को विकारों से हटाकर ईश्वर एवं सत्कार्यों में लगाने का नाम ब्रह्मचर्य है। केवल उपस्थ इंद्रिय का संयम मात्र ही ब्रह्मचर्य नहीं है। इंद्रियों एवं मन की शक्तियों का रूपान्तरण कर उनको आत्मसुखी कर ब्रह्म की प्राप्ति करना ब्रह्मचर्य है।

व्यायाम – इस शरीर को चलाने के लिए जैसे आहार की आवश्यकता है, वैसे ही आसन–प्राणायाम आदि के व्यायाम की भी परमावश्यकता है। बिना व्यायाम के शरीर अस्वस्थ तथा ओज एवं क्रान्तिहीन हो जाता है, जबकि नियमित रूप से व्यायाम करने से दुर्बल, रोगी एवं कुरूप व्यक्ति भी बलवान, स्वस्थ एवं सुंदर बन जाता है। हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, वात रोग, बवासीर, गैस, रक्तचाप, मानसिक तनाव आदि का भी मुख्य कारण शारीरिक श्रम का अभाव है। यदि नित्य प्रति योगाभ्यास किया जाए तो इन रोगों सकते। व्यायाम के भी कई प्रकार हैं। इन सब में आसन–प्राणायाम सर्वोतम हैं। दूसरे व्यायामों से शारीरिक परिक्षय होता है परन्तु मन में एकाग्रता एवं शांति नहीं आती। भारी व्यायाम करने से मांसपेशियों का ही व्यायाम होता है, स्नायु का व्यायाम नहीं होता । इसीलिए, भारी व्यायाम से मांसपेशियां इतनी सख्त हो जाती हैं। आसन–प्राणायाम से पूर्ण आरोग्य लाभ होता है तथा किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती और मन में एकाग्रता एवं शांति का विकास होता है।

आसन – पदमासन, भद्रासन, सिद्धासन, सुखासन आदि किसी भी आसन में स्थिरता और सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है। साधक को जप, उपासना व ध्यान आदि करने के लिए किसी भी एक आसन में स्थिरता और सूखपूर्वक बैठने का लंबा अभ्यास भी करना चाहिए। जो इन आसनों में नहीं बैठ सकते या रोगी हैं, उनके लिए महर्षि व्यास कहते हैं कि वे सोयाश्रय आसन (कुर्सी दीवार) आदि का भी आश्रय (सहारा) लेकर प्राणायाम ध्यान आदि का अभ्यास कर सकते हैं। जप व ध्यानादि रूप उपासना के लिए आसन का अभ्यास अति आवश्यक है। किसी ध्यानात्मक आसन करते समय मेरुदण्ड सदा सीधा होना चाहिए, भूमि समतल हो, बिछाने के लिए गद्दीदार बिछौना हो।

सुस्वास्थ्य ही सम्पूर्ण सुखों को आधार है। स्वास्थ्य है तो जहान है, नहीं तो शमशान है। स्वस्थ कौन है? जिसके तीनों दोष वात, पित्त एवं हफ सम हों। जठराग्नि सम (न अति मंद हो, न अति तीव्र) हो। सप्त धातुएँ – रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य उचित अनुपात में हों, मल–मूत्र की क्रिया सम्यक प्रकार से होती है और दस इन्द्रियां (कान, नाक, आंख, त्वचा, रसना, गुदा, उपस्थ हाथ, पैर व जिव्हा), मन एवं इनकी स्वामी आत्मा भी प्रसन्न हो तो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। ऋषियों ने स्वस्थ शब्द की बहुत ही व्यापक एवं वैज्ञानिक परिभाषा की है।

यत्र-तत्र-सर्वत्र

एस.डी.शर्मा
वरिष्ठ नागरिक

समस्त प्रकृति जगत एवं लोक लोकांतरों को संचालित करने वाली कोई शक्ति है जो सारे ब्रहमांड को नियंत्रित करती है। एक ऊर्जा है जो सब पदार्थों को संचालित करती है, गति देती है। हमें जड़ चेतन सभी वस्तुओं में एक अहसास होता है कि अन्ततः कौन सी ऐसी शक्ति है जो सभी को नियमित करती है। यह भी निश्चित है कि वह एक अदृश्य है चेतना है जो सभी पदार्थों में समाहित है। जिसका उपनिषद् में ऋषियों ने वर्णन किया है **'सः ओतः प्रोतश्च विभुःप्रजासु'** अर्थात वह सभी वस्तुओं, जड़ एवं चेतन में प्रछन्न रूप से समाया हुआ है किन्तु दिखाई नही देता। वह केवल परमेश्वर है, जो केवल मात्र इस जगत का नियंता एवं स्वामी है। शास्त्रों में ईश्वर को स्वयंभू भी कहा है अर्थात वह सम्पूर्ण सृष्टि का एक मात्र–स्वामी है उसे बनाने वाला कोई दूसरा नही है। परमेश्वर निराकर होने के कारण जन्म–मरण के बंधन से मुक्त है। तभी संत तुलसीदास जी ने लिखा है –

बिनु पद चलै, सुनै बिनु काना,
कर बिनु करै, करम विधि नाना।

प्रकृति जड़ पदार्थ होते हुए सनातन है। जीव के दो गुण है–सत एवं चित्त; अर्थात सनातन एवं चेतन स्वरूप ये दोनों गुण जीव में शरीर रहित होते हुए भी विद्यमान रहते हैं। अर्थात जीव नित्य एवं चेतन स्वरूप है। परमात्मा तीनों गुणों अर्थात सत, चित्त, आनंद से युक्त है। इसलिए परमेश्वर का नाम सच्चिदानंद है। जीव के पास दो गुण अर्थात सत एवं चित्त होते हुए वह तीसरे गुण अर्थात आनंद की खोज में लगा रहता है और सदा–ईश्वर से मांगता रहता है; क्योंकि परमेश्वर आनंद का सागर है। जीव उसी से आनंद अर्थात सुख की सदैव याचना करता है। थोड़ा सा आनंद मिलते ही जीव सफलता से प्रफुल्लित हो उठता है। यह उसका स्वाभाविक गुण है।

परमेश्वर समस्त प्राणियों के स्वामी है। वह उनके दुखों को हरता है। वह अपने भक्तों की पुकार सुनता है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अनुचित कार्य करता है और करता ही रहता है। तब ईश्वर उस व्यक्ति को सुमार्ग पर लाने के लिए एवं उसकी बुरी आदत को सुधारने के लिए उस पर अपना उग्र रूप दिखाकर उसे दंडित कर एक आदर्श एवं दोष रहित मानव बनाता है। अतः परमात्मा उग्र–स्वरूप देदीप्यमान है। उसकी ही कृपा से चारों दिशाएं बनी हैं। यह जो सूर्य आलोकमान है, प्रभु के बल से ही प्रकाशमान है। यह विस्तृत वसुंधरा एक विशाल द्युलोक, अंतरिक्ष आपकी ही शक्ति से स्थिर है। यह सम्पूर्ण ब्रहमांड आपका ही है। आप ही सब कुछ है हमारा कुछ भी नही है। पृथ्वी पर जो भी आत्मवाला एवं प्राणवान जगत है। वह भी आपका ही है। परमेश्वर सुखदाता, उत्पत्तिकर्ता एवं रूद्र देव है। वह दुःख पृथ्वी पर विनाशक है। जीवन दाता है। प्राण दाता है। हम जब किन्हीं पीड़ाओं से ग्रसित हो जाते हैं। तक हम उसे ही पुकारते हैं और आप से ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो, हमारे शरीर में जो पीड़ीएं हो रही है; उन्हें दूर करने के लिए हम आपसे ही प्रार्थना करते है, क्योंकि आप ही सबों के स्वामी है। आप ही प्रजाओं के नाथ है। संसार में जो रमणीय पदार्थों के दृश्य हैं आपने ही आकाश तथा नदी और सूर्य को थामा है। साधक उसे स्तुति योग्य, ब्रहम की तीनों भूत, भविष्यत और वर्तमान शक्तियों को ब्रह्मज्ञानी बताते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म ने अपनी महिमा और सामर्थ्य से सब लोगों को अच्छी प्रकार से संयुक्त किया है।

जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम की भक्ति करता है उसका कल्याण हो जाता है। उसका बेड़ा पार हो जाता है। उसके जीवन में शांति का

प्रवाह बहने लगता है। लेकिन प्रभु–भक्ति के बिना किसी भी मनुष्य को शांति नही मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति शांति चाहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन को उत्थान की सीढ़ी पर ले जाना चाहता है एवं मोक्ष तक पहुंचना चाहता है। उसके जीवन के तीन चीजें आवश्यक है; जैसे साध्य, साधन और साधक। प्रभु की उपासना के लिए इन तीनों में सामंजस्य एवं अनुकूलता होनी चाहिए। तभी मनुष्य जीवन का लक्ष्य अर्थात आनंद की प्राप्ति कर सकता है और मनुष्य अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता हैं।

कर्तव्य पालन

अमर सिंह सचान,
हिंदी अधिकारी

एक दिन बाग में गुलाब की क्यारियों में मैंने देखा,
क्यारी की गोबर की खाद और मिट्टी की कीच में,
एक भौंरा उम्र में बूढ़ा, नीचे जा गिरा था कंटकों में।
चोंट उसको लगी थी शायद, घायल फिर न उड़ सका।
किंतु उसको देखकर गोबर की खाद का गुबरीला एक,
आ पहुंचा मदद को उसकी, और उठाया देकर सहारा।
खाद और कीचड़ की गंध से बुरा था हाल उस भ्रमर का
और उस पर गुबरीले की गंदी काया का सहारा।
झट संभलकर वृद्ध भौंरा बोला–''परे हट तू कौन है,
तेरा रंग रूप तो मुझ जैसा, पर कर्म लगता है अलग।''
बेचारा गुबरीला घबराया, शरमाया व हकलाया सा,
बोला, ''आप तो फूलों के राजा, गुलाब का मधु पीने वाले
हम रूखा–सूखा खाकर पोषण करते हैं उन्ही गुलाबों का,
गोबर–मिट्टी को हम उर्वर–उपजाऊ बनाते हैं।
लगता है प्रभु चोंटिल हुए आप हैं, कुछ आज्ञा दें,
स्वीकार करें आतिथ्य मेरा और यहीं ठहरें मेरे घर।''
भौंरा गुर्राया, तनकर बोला ''ओह। तेरी इतनी हिम्मत,
अपना अतिथि बनाकर भ्रष्ट करेगा तू मेरी जाति–धर्म।
मैं कुलीन भ्रमरवंशी, मधुरस पीता हूं गुलाब व कमलों का,''
गुबरीला बोला हंसकर ''सच कहते हैं आप भ्रमरवंशी।
पर जिन गुलाब या कमलों के रस को पीकर इतराते हैं आप,
उनके पौधों की खाद और पानी को हमीं बनाते हैं उर्वर।
यदि पौधा ही नही उगेगा या उगकर नहीं फले–फूलेगा,
तो कैसे सुगंध बिखरेगी और कहां से आएगा मधुरस।
मत भूलें कि मेरी मेहनत पर टिका आपका वैभव है,
कब तक झूठे अंहकार से भ्रमित करेंगे दुनिया को।
हम भी है जागरूक अपने अधिकारों को समझ रहे हैं,
यदि हम मेहनतकश चाहें, तो अहसास करा सकते है बल का।
किंतु विनम्रता से करते हैं हम, अपने कर्तव्यों का पालन,
क्योंकि जीवन में शांति नहीं मिलती है परस्पर संघर्षों से।''

जीवन-एक अभिचार

वर्षा रघु

अरे सुनो! धरती निवासियो!
यह लालच, शत्रुता, आतंक,
क्या है इनमें वास्तविक अर्थ, भाइयो!
जब यह जिन्दगी है एक झूठी माया।

कहते हैं सभी कि जीवन वास्तविकता है
कहते हैं वास्तविकता में सार्थकता है,
क्योंकि जीवन ही परम सत्य है
और इस रथ के सारथी हम ही तो हैं।

पड़ते हैं हम सब धन–दौलत के उन्माद में,
डरते हैं हम सब शोक के प्रभाव से,
लेकिन क्या सोचा है कभी ? कि अंत में,
शरीर है ही नहीं–परमात्मा के चरण पर हैं सभी ?

इस जीवन का तात्पर्य ही क्या है ? यदि
इसका हर क्षण एक दिन बन जाए खयाल,
और जब जीवन ईश का मंत्रोच्चार है,
तब दूसरों का नाश क्यों कर रहे हो ? –
अपना ही तो है असत शोक, कल्पित हाल।

तुम तो जानते हो, अपने अवचेतन की स्थिति में,
कि यह दुनिया सिर्फ एक झूठ की माया है,
सच है केवल हमारी आत्मा, हमारा मन, और
सर्वोत्तम शक्ति है परमात्मा, चाहे कहो –
राम, अल्लाह, ईशा या बुद्ध या फिर अपनी आत्मा!

हमारे आदरणीय बुज़ुर्गों के लिए एक अनुठी योजना

विश्व वयोवृद्ध दिवस पर, राष्ट्रीय आवास बैंक प्रत्येक भारतीय नागरिक को घर प्रदान करने में एक मुख्य भूमिका निभाने की प्रतिज्ञा लेता है। विशेष रूप से, उन बुजुर्गों के लिए, जिनके लिए यह दिवस बना है। सम्मान और आदर के साथ उनके लिए रिवर्स मोर्टगेज जैसी योजना तैयार की गई हैं। यह योजना सुनिश्चित करती है कि वे अपने प्रॉपर्टी से धन वसूल करते हुए आराम से शानदार जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL HOUSING BANK

www.nhb.org.in

पंजी. सं. दिल्ली इन/2001/6138

"शहरी ग़रीबों के लिए सुलभ आवास" का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रति एक कदम"

शहरी ग़रीबों के आवास के लिए आर्थिक सहायतायुक्त ब्याज योजना

योजना की प्रमुख विशेषताएं

- शहरी क्षेत्रों में मकान के अधिग्रहण और निर्माणार्थ आर्थिक रूप से कमज़ोर (3,300/- रुपए तक की मासिक आय) और निम्न आय (3,301/- रुपए से 7,300/- रुपए के बीच मासिक आय) वर्गों के लिए केन्द्र सरकार की आर्थिक सहायता के साथ गृह ऋण।
- उधारकर्ता/लाभार्थीगण इस योजना के अधीन लाभ उठाने के लिए राज्य स्तर के नोडल अभिकरणों/शहरी स्थानीय निकायों से संपर्क कर सकते हैं।
- राज्य स्तर के नोडल अभिकरण/शहरी स्थानीय निकाय ग्राह्य उधारकर्ताओं को प्रमाणित करेंगे और ऋण आवेदनों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं चुनिंदा आवास वित्त कंपनियों को अग्रेषित करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और चुनिंदा आवास वित्त कंपनियां आवास ऋण प्रदान करेंगी।
- 5% की ब्याजगत आर्थिक सहायता ऋण की 15-20 वर्ष की अवधि के लिए 1,00,000/- रुपए तक की ऋण राशि पर दी जाएगी। योजना का लाभ घटौती मासिक किस्त के रूप में है।
- योजना अ. जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यकों/महिलाओं/अशक्त व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमज़ोर/निम्न आय वर्गों की श्रेणी के अधीन वरीयता देती है।

राष्ट्रीय आवास बैंक
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

National Housing Bank
(Wholly owned by Reserve Bank of India)

Website: www.nhb.org.in

शहरी ग़रीबों के आवासार्थ आर्थिक सहायतायुक्त • ब्याज योजना के लिए एक केन्द्रीय नोडल अभिकरण

नई दिल्ली • अहमदाबाद • बैंगलूरू • चेन्नै • हैदराबाद • कोलकाता • लखनऊ • मुंबई

www.chiranjn.com

मुद्रण तिथि : 30—7—2010